Electoral Literacy : Stronger Democracy

No Voter to be Left Behind

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान

क्रमांकः एफ.4(3)(3)स्वीप / निर्वा / College ELC/ 2026-27 /1985 जयपुर, दिनांकः 4.5.26

प्रेषकः– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः– जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),
समस्त जिले,
राजस्थान।

जिला स्वीप प्रभारी अधिकारी (CEO - ZP),
समस्त जिले,
राजस्थान।

विषय : **राज्य में कॉलेज निर्वाचन साक्षरता क्लब (College ELCs) के सुदृढ़ीकरण, सफल संचालन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु ; विविध स्तरीय अधिकारियों/ कार्मिकों के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारण तथा राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure - SoP) की क्रियान्विति बाबत।**

सन्दर्भ –
1. **भारत निर्वाचन आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय – भारत सरकार के मध्य कॉलेज ईएलसी सुदृढ़ीकरण के संबंध में निष्पादित MoU दिनांक 02.11.2023 तथा**
2. **भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक D. O. No. ECI/1/2023, दिनांक 07.11.2023।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित MoU एवं पत्र के अनुक्रम में लेख है कि राज्य के समस्त आवासीय/ गैर आवासीय राजकीय, निजी एवं स्वायत्त महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में संचालित विभिन्न विभागों/संकायों में मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs - ELCs) के सुदृढ़ीकरण, फील्ड स्तर पर उक्त क्लब के सफल संचालन, मतदाता जागरूकता गतिविधियों के समुचित क्रियान्वन एवं तदनुसार प्रभावी पर्यवेक्षण के संबंध मे राज्य स्तर पर एकरूपता एवं स्पष्टता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से कॉलेज ईएलसी के संबंध में इस कार्यालय द्वारा आदिनांक तक पूर्व में जारी समस्त आदेश अथवा दिशा–निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए इस पत्र के साथ संलग्न **'परिशिष्ट – अ'** के अनुसार कॉलेज ईएलसी मानक संचालन प्रक्रिया **(College ELC : Standard Operating Procedure - SoP)** मय निर्वाचन विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के विविध स्तरीय अधिकारियों/ कार्मिकों के कर्तव्य एवं दायित्व फील्ड स्तर पर अनुपालनात्मक कार्यवाही एवं क्रियान्विति सुनिश्चित किये जाने हेतु एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

अतः उक्तानुसार कॉलेज ईएलसी SoP के फील्ड स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार एवं तदनुसार अपेक्षित अनुपालनात्मक क्रियान्विति सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर एक प्रति इस कार्यालय को भी अग्रेषित करते हुए अद्यतन प्रगति से अवगत करावें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नवीन महाजन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/College ELC/ 2026-27/1985 **जयपुर, दिनांकः** 4.5.26

प्रतिलिपिः सूचनार्थ/ आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जयपुर,
2. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर,
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर,
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), जयपुर,
5. निजी सचिव, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर,
6. निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर,
7. सचिव, राजस्थान तकनीकी शिक्षा बोर्ड – जोधपुर,
8. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी–IT, निर्वाचन विभाग, जयपुर।
   (उक्त **College ELC SoP** को विभागीय वेबसाइट की स्वीप – ईएलसी रिपॉजिटरी में अपलोड कराने हेतु)।
9. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष – समस्त आवासीय/ गैर आवासीय राजकीय, निजी एवं स्वायत्त विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय (M.Ed., B.Ed., Agriculture, Medical, Para-Medical, Law, Engineering & ITI Colleges सहित), राजस्थान,
10. राज्य/ संभाग/ जिला स्तरीय कॉलेज ईएलसी नोडल अधिकारी, समस्त – राजस्थान,
11. जिला स्वीप समन्वयक, समस्त जिले – राजस्थान,
12. प्रधानाचार्य / कॉलेज ईएलसी नोडल अधिकारी, समस्त महाविद्यालय – राजस्थान,
13. रक्षित पत्रावली

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

'परिशिष्ट – अ'

राज्य में कॉलेज निर्वाचन साक्षरता क्लब (College ELCs) के सुदृढ़ीकरण, सफल संचालन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु ; विविध स्तरीय अधिकारियों/ कार्मिकों के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारण तथा राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग के संबंध में

मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure - SoP)

A. भारत निर्वाचन आयोग के "व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम" (Systematic Voter's Education and Electoral Participation - SVEEP Program) के अंतर्गत राज्य के समस्त आवासीय/ गैर आवासीय राजकीय, निजी एवं स्वायत्त महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में संचालित विभिन्न विभागों में अध्ययनरत 18 से 25 वर्ष आयुवर्ग के नवमतदाताओं को मतदाता पंजीकरण, उनके वोट देने के संवैधानिक अधिकार, नैतिक मतदान के कर्तव्य एवं देश में चुनावी कार्यप्रणाली के बारे में शिक्षित करने और उनकी चुनावी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित *कॉलेज – निर्वाचन साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs - ELCs) का स्वरुप, संचालन प्रक्रिया, गतिविधि संपादन, अभिलेख संधारण एवं पर्यवेक्षण* इत्यादि सांदर्भिक भारत निर्वाचन आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय – भारत सरकार के मध्य कॉलेज ईएलसी सुदृढ़ीकरण के संबंध में निष्पादित **MoU** दिनांक 02.11.2023 (प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न), भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कॉलेज ईएलसी मार्गदर्शिका (हिंदी एवं English संस्करण सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न), निर्वाचन विभाग– राजस्थान तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग – राजस्थान के मध्य प्रस्तावित **MoU** और कॉलेज ईएलसी सुदृढ़ीकरण के संबंध में दोनों विभागों द्वारा इस **SoP** के अनुक्रम में यथासमय जारी आगामी दिशा– निर्देश/ परिपत्र/ आदेश इत्यादि *के अध्ययीन संधारित एवं क्रियान्वित किया जाएगा* ।

B. उक्त निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा समस्त मतदाता जागरूकता गतिविधियां पूर्णतः गैर राजनीतिक, तटस्थ एवं निष्पक्ष रूप से तथा गरिमापूर्ण एवं मर्यादित तरीके से आयोजित की जावेंगी।

C. राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त राजकीय, निजी एवं स्वायत्त महाविद्यालयों (M.Ed., B.Ed., Agriculture, Medical, Para-Medical, Law, Engineering & ITI Colleges सहित) तथा विश्वविद्यालयों में संचालित विभिन्न विभागों/संकायों में 17+/ 18 वर्ष आयु वाले नव प्रवेशित छात्रों के मतदाता पंजीकरण की सूचना उनके **Admission/ Enrolment Form (Online/ Offline)** में अनिवार्यतः दर्ज कर ली जावे, ताकि मतदाता के रुप में गैर पंजीकृत छात्रों के चिन्हीकरण एवं तद्नुसार उनके अनिवार्य **Online/ Offline** मतदाता अग्रिम पंजीकरण/ पंजीकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही संबंधित संस्थान की निर्वाचन साक्षरता क्लब – कार्यकारिणी समिति (Electoral Literacy Club - Executive Committee : ELC - EC) द्वारा संपादित की जा सके। इस हेतु निम्न बिंदु को **Student Admission/ Enrolment Form (Online/ Offline)** में समाहित किया जावे–

- क्या छात्र मतदाता के रुप में पंजीकृत है ? – हां* / नहीं
  (Whether Student is registered as Voter? - Yes*/ No)
- *यदि हां, तो छात्र का EPIC/ Advance Voter Registration No. – ....
  *If yes, then specify EPIC/ Advance Voter Registration No. – ....

उल्लेखनीय है कि छात्रों के उक्त मतदाता पंजीकरण डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और केवल संबंधित Stake Holder कार्यालय के साथ उनके लिखित संवाद एवं स्थापित प्रक्रिया के अनुरुप ही साझा किया जा सकेगा।

D. निर्वाचन साक्षरता क्लब – कॉलेज का परिचय, उद्देश्य एवं स्वरुप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कॉलेज ईएलसी मार्गदर्शिका (हिंदी संस्करण) के बिंदु संख्या 1, 2 एवं 4 में निहित हैं।

E. College ELC मार्गदर्शिका (हिंदी संस्करण) के बिंदु संख्या 3, 5, 6, 7 एवं 8 पर उल्लेखित क्रमशः ELC सदस्य, ELC नोडल अधिकारी एवं मार्गदर्शी, ELC - कार्यकारिणी समिति, ELC संयोजक/ कैंपस दूत (Campus Ambassadors) एवं ELC-EC कार्यकाल के संबंध में निम्नानुसार दिशा– निर्देश प्रभावी होंगें–

- नव प्रवेशित प्रत्येक छात्र/छात्रा अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करने तक संस्थान के निर्वाचन साक्षरता क्लब के स्वाभाविक सदस्य होंगे। तथापि ईएलसी सदस्य के रुप में पंजीकरण कराने हेतु 'Annexure - I' पर संलग्न ईएलसी सदस्यता फॉर्म भी भरा जाना अपेक्षित है।
- नियमानुसार संस्थान के राजनीति शास्त्र विभाग के सहायक आचार्य (अनुपलब्धता की स्थिति में किसी अन्य मानविकी विषय के सहायक आचार्य, जिन्हें विभिन्न चुनावों में दायित्व निभाने का अनुभव हो) संस्थान के ईएलसी नोडल अधिकारी/ मार्गदर्शी (Mentor) होंगे। उक्त ईएलसी नोडल अधिकारी/ मार्गदर्शी (Mentor) के मुख्य कार्य एवं दायित्व कॉलेज ईएलसी मार्गदर्शिका (हिंदी संस्करण) के बिंदु संख्या 5 के अनुसार निर्धारित हैं।
- संस्था प्रधान और ELC नोडल अधिकारी द्वारा संस्थान की ELC - कार्यकारिणी समिति में 1 अध्यक्ष (President), 1 उपाध्यक्ष (Vice President) और 18 मुख्य सदस्य - Core Members (कुल 20 पदाधिकारी) प्राथमिकता से निर्वाचित अन्यथा नामित किए जायेंगे। ध्यातव्य है कि कार्यकारिणी समिति पदाधिकारी हेतु केवल वही छात्र पात्र होंगे, जो पहले से ही वोटर के तौर पर पंजीकृत हैं और जिनका किसी भी राजनीतिक दल की छात्र/युवा शाखा से कोई जुड़ाव नहीं है। साथ ही संस्थान के **Pro-Active & Techno-Friendly Students** ही ईएलसी – कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी हेतु पात्र होंगे। अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि दिव्यांग छात्र को (उपलब्धता की स्थिति में) पदाधिकारी के रूप में अनिर्वायतः शामिल किया जावे। ईएलसी कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित/नामित पदाधिकारी द्वारा 'Annexure - II' के अनुसार सादा कागज़ पर शपथ–पत्र (Affidavit) ELC नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जावे। क्रमशः ईएलसी कार्यकारिणी समिति द्वारा समिति गठन/ पुनर्गठन की दिनांक को 'Annexure - III' के अनुसार सामूहिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज/ प्रतीक के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ (हिन्दी एवं English Version) ली जावे। संस्थान के उक्त ईएलसी कार्यकारिणी समिति के मुख्य कार्य एवं दायित्व कॉलेज ईएलसी मार्गदर्शिका (हिंदी संस्करण) के बिंदु संख्या 6 के अनुसार निर्धारित हैं।
- उपरोक्त बिन्दु में उल्लेखित ईएलसी कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित/नामित पदाधिकारी ही संस्थान के ELC संयोजक/ कैंपस दूत (Campus Ambassadors) होंगे, जिनके मुख्य कार्य एवं दायित्व कॉलेज ईएलसी मार्गदर्शिका (हिंदी संस्करण) के बिंदु संख्या 7 के अनुसार निर्धारित हैं।
- संस्थान की ईएलसी कार्यकारिणी समिति एवं समिति के निर्वाचित/नामित पदाधिकारी [ELC संयोजक/ कैंपस दूत (Campus Ambassador)] का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, जिसे आवश्यकतानुसार अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। किसी पदाधिकारी के पासआउट अथवा अन्यथा की स्थिति में ईएलसी – ईसी संबंधी पूर्वोल्लेखित बिन्दु के अनुसार ही अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नवीन पदाधिकारी को निर्वाचित/नामित किया जावे। समय की यह गणना पदाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जावेगी। उक्त कार्यकाल के बारे में अन्तिम निर्णय College ELC नोडल अधिकारी का होगा।

F. संस्थान में निर्वाचन साक्षरता क्लब संबंधी समस्त प्रक्रियाओं/ वार्षिक गतिविधियों का संपादन एवं संचालन तथा अभिलेख संधारण संस्था प्रधान के पर्यवेक्षण में एवं नामित ईएलसी नोडल अधिकारी/ मार्गदर्शी (Mentor) के उत्तरदायित्व तथा ELC - कार्यकारिणी समिति और कैंपस दूत के आपसी समन्वयन में सुनिश्चित किया जावेगा। इस हेतु ELC - कार्यकारिणी समिति गठन/पुनर्गठन के दिवस वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण एवं वर्ष पर्यंत संपादित की जाने वाली माहवार गतिविधियों का निर्धारण किया जावे। उपरोक्त बिन्दु संख्या C. में उल्लेखित संस्थान के *मतदाता के रूप में गैर पंजीकृत नवप्रवेशित छात्रों* के चिन्हीकरण एवं उनका मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक गतिविधियों का कार्ययोजना में अनिवार्यतः समावेश किया जावे। क्रमशः माहवार गतिविधि निर्धारण हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय/ विश्व/ राष्ट्रीय/ स्थानीय विभिन्न दिवस, मेले एवं सांस्कृतिक/ सामुदायिक कार्यक्रम तथा संस्थान के अवकाश, परीक्षा इत्यादि को ध्यान में रखा जावे।

G. संस्थानों के सुलभ संदर्भ हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय/ विश्व/ राष्ट्रीय/ स्थानीय दिवसों की सूची '**Annexure - IV**' पर तथा ईएलसी गतिविधियों की अनुशंषित सूची '**Annexure - V**' पर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

H. College ELC मार्गदर्शिका (हिंदी संस्करण) के बिंदु संख्या 9 पर उल्लेखित गतिविधि आयोजन स्थल के संबंध में समीचीन है कि प्रत्येक संस्थान में (उपलब्धता के अनुसार) किसी एक कमरे को 'लोकतंत्र कक्ष' (**Democracy Room**) के रूप में नामित करते हुए विकसित किया जाए, ताकि वहाँ नियमित रूप से **SVEEP** सामग्री प्रदर्शित की जा सके और वर्ष भर ईएलसी गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित की जा सकें। क्रमशः ईएलसी गतिविधि की आवश्यकतानुसार संस्थान के मंच, प्रवेश – द्वार, सभागार, कैम्पस के खुले मैदान, कॉरिडोर इत्यादि का भी उपयोग किया जा सकता है।

I. निर्वाचन साक्षरता क्लब के गतिविधि सत्र, विभिन्न ईएलसी गतिविधियां (भारत निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन विभाग– राजस्थान द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु उपलब्ध विभिन्न ऑनलाइन एप एवं प्लेटफॉर्म यथा **ECI Net, Online Form - 6, 7 & 8; ECI & CEO-RJ Website, ELC Repository** इत्यादि के **Hands-On** को समाहित करते हुए), उक्त ईएलसी गतिविधियों के माध्यम से समाज में मतदाता जागरूकता के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु **ECI - SVEEP, CEO-RJ, DEOs** इत्यादि के सोशल मीडिया हैण्ड्ल्स पर सही टैगिंग के साथ संस्थान/स्वयं पदाधिकारियों के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गतिविधियों को साझा करते हुए सोशल मीडिया उपस्थिति एवं उनके विस्तार, उक्त गतिविधियों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेश, विभिन्न ईएलसी गतिविधियों के संपादन संबंधी निर्देश एवं संसाधन **College ELC मार्गदर्शिका (हिंदी संस्करण) के बिंदु संख्या 10 से 17 के अनुसार निर्धारित** हैं।

- उल्लेखनीय है कि उक्त College ELC मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 16 (पृष्ठ संख्या 26) पर उल्लेखित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सेमेस्टर एवं माहवार समस्त न्यूनतम गतिविधियों का संपादन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे।
- कॉफी की मेज़ पर मतदान की चर्चा और वर्ष की प्रत्येक अर्हता दिनांक यथा – 1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर की स्थिति के अनुरूप संस्थान में मतदाता पंजीकरण अभियान नियमित रूप से अनिवार्यतः आयोजित की जाने वाली गतिविधियां हैं।
- क्रमशः कार्यकारिणी समिति को एसओपी के बिन्दु संख्या **B.** की भावना के अनुरूप मतदाता साक्षरता से जुड़ी नवाचारी गतिविधियां सृजित एवं संपादित करने हेतु स्वतंत्रता होगी। ईएलसी गतिविधियों के रोचकपूर्ण आयोजन एवं छात्रों की सक्रिय सहभागिता बढ़ाने हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा **Do It Yourself (DIY)** गतिविधि आयोजन अभिप्रेरित की जावें।

- ECI/ Election Department द्वारा निर्धारित/ अधिकृत Authentic Audio/ Video/ Audio - Visual Voter Awareness Content के प्रदर्शन हेतु संस्थान के Projector/ Smart Screen/ ICT - Computer Lab का उपयोग किया जावे।
- उक्त समस्त गतिविधियों को ईएलसी–कार्यकारिणी समिति द्वारा संस्थान की मासिक/ त्रैमासिक चुनाव पत्रिका में नियमित रूप से अद्यतन किया जावे तथा वार्षिक प्रतिवेदन/ आख्या में अनिवार्यतः शामिल किया जावे।

J. संस्थान में ईएलसी कार्यकारिणी समिति के गठन/ पुनर्गठन, विभिन्न बैठक आयोजन एवं लिए गए कार्ययोजना निर्माण एवं गतिविधि आयोजन संबंधी निर्णय, ईएलसी सदस्यता आवेदन पत्र, ईएलसी कार्यकारिणी पदाधिकारी शपथ पत्र, ईएलसी कार्यकारिणी समिति द्वारा सामूहिक मतदाता शपथ, उक्त समस्त गतिविधि आयोजन के गुणवत्तापूर्ण फोटोग्राफ, शॉर्ट वीडियो, रील, सोशल मीडिया पर साझा किये गये पोस्ट के स्क्रीनशॉट इत्यादि समस्त डिजिटल एवं भौतिक अभिलेख यथा समय–समय पर जारी ईएलसी संबंधी आदेश, परिपत्र इत्यादि की गार्ड फाइल का संधारण संस्थाप्रधान के निर्देशन में संस्थान के ईएलसी प्रभारी द्वारा किया जावे। संस्थान स्तर पर संधारित किये जाने वाले ईएलसी रजिस्टर का प्रारुप '**Annexure - VI**' पर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

K. राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में **Electoral Literacy & Voter Awareness Friendly Environment** विकसित करने यथा लोकतंत्र की दीवार (**Democracy Wall**) एवं मतदाता शपथ (**Voters' Pledge - Hindi & English Version**) पेन्ट किया जाना, संस्थान के प्रवेश द्वार पर ईएलसी लोगो पेन्ट किया जाना, ईएलसी गतिविधियों के सम्पादन हेतु संस्थान का ईएलएसी – पीवीसी फ्लेक्स एवं मानव श्रृंखला/रैली हेतु पीवीसी फ्लेक्स प्रिन्ट किया जाना, संस्थान में मतदाता जागरूकता सम्बन्धी **Signature Campaign** हेतु पीवीसी फ्लेक्स प्रिन्ट किया जाना तथा अनिवार्य एवं नैतिक मतदान के सम्बन्ध में संस्थान परिसर में सुदृश्य स्थानों पर **Slogans & Quotes** लिखा जाना इत्यादि हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए फण्ड/वित्तीय राशि का उपयोग राज्य कार्यालय द्वारा जारी एवं तत्समय प्रभावी दिशा – निर्देशों के अनुरूप राजकीय लेखा नियमों में निहित प्रावधान एवं विहित प्रक्रिया के अनुरूप किया जावे।

L. क्रमशः उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में उक्तानुसार **Electoral Literacy & Voter Awareness Friendly Environment** विकसित करने हेतु जिला/विधान सभा क्षेत्र निर्वाचन कार्यालय द्वारा **Corporate Social Responsibility (CSR)** के माध्यम से यथा आवश्यक वित्तीय सहायता एवं भौतिक संसाधन प्राप्त किया जाना अभिशंषित है। महत्वपूर्ण है कि संस्थान में उक्तानुसार मतदाता जागरूकता समर्पित भौतिक वातावरण विकसित किये जाने में संस्था प्रधान, ईएलसी प्रभारी अधिकारी एवं ईएलसी–कार्यकारिणी समिति का सक्रिय सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जावे।

M. राज्य में कॉलेज ईएलसी सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के सक्रिय निष्पादन एवं वित्तीय प्रावधानों के सम्बन्ध में जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अधीनस्थ विधान सभा क्षेत्र स्तर पर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देशन में निर्वाचन विभाग का पदानुक्रम लागू रहेगा।

कॉलेज निर्वाचन साक्षरता क्लब (College ELCs) के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में ईआरओ/जिला स्तरीय अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारण तथा राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दु

a. विधान सभा क्षेत्र स्तर पर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) पदेन कॉलेज ईएलएसी नोडल अधिकारी होंगे। उक्त ईआरओ अपने विधान सभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) को जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर सहायक कॉलेज ईएलएसी नोडल अधिकारी नामित कर सकेंगे। विधान सभा क्षेत्र स्तर पर कॉलेज ईएलसी सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व ईआरओ का रहेगा।

b. जिला स्तर पर कॉलेज ईएलसी सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के सक्रिय निष्पादन एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी–जिला परिषद् (पदेन जिला स्वीप प्रभारी अधिकारी) एवं नामित जिला स्वीप समन्वयक के माध्यम से सुनिश्चित की जावेगी।

c. जिला स्तर पर संचालित एसओपी के बिन्दु संख्या **C.** (पृष्ठ संख्या –) में उल्लेखित समस्त विश्वविद्यालयों के विभाग/संकाय तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के स्टेकहोल्डर विभाग/कार्यालयों के अधीनस्थ संचालित विविध कॉलेज/संस्थान की सूची '**Annexure - VII**' के अनुसार जिला स्वीप प्रभारी अधिकारी द्वारा संधारित करते हुए डीईओ एवं राज्य कार्यालय के साथ यथा – आवश्यकता एवं यथासमय **Signed Pdf & Excel Sheet (Font - Times New Roman : Size - 10, if in English)** में साझा की जावेंगी। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में उक्त उच्च शिक्षा संस्थानों की अंतिम सूची संधारण हेतु कट–ऑफ दिनांक 01 जनवरी निर्धारित की जाती है।

d. उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) को राज्य/जिला स्तर पर प्रदान किये जाने वाले **Best Performing College ELC Awards (Govt. and Private)** हेतु उपरोक्त बिन्दु संख्या **c.** में उल्लेखित केवल गत सत्र की अंतिम सूची के **Active College ELC (Govt. and Private)** वाले वही संस्थान पात्र होंगे, जहां कॉलेज ईएलसी नियमित एवं सुचारू रूप से सम्पादित की जा रही हैं। जिला स्तर पर **Active ELCs** वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की अंतिम सूची संधारण हेतु कट–ऑफ दिनांक 15 दिसम्बर तथा सत्र की उक्त अंतिम **Active College ELCs** वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की वार्षिक सूचना डीईओ एवं राज्य कार्यालय के साथ '**Annexure - VIII**' के अनुसार **Signed Pdf & Excel Sheet (Font - Times New Roman : Size - 10, if in English)** में साझा किये जाने हेतु कट–ऑफ दिनांक 20 दिसम्बर निर्धारित की जाती है।

e. क्रमशः जिले की **Active College ELCs** की अद्यतन प्रगति सम्बन्धी समेकित त्रैमासिक सूचना राज्य कार्यालय – निर्वाचन विभाग के साथ '**Annexure - IX**' के अनुसार **Signed Pdf & Excel Sheet (Font - Times New Roman : Size - 10, if in English)** में प्रत्येक अर्हता दिनांक के अनुरूप अंतिमतः सम्बंधित माह की 10 तारीख तक साझा की जावे।

f. भारत निर्वाचन आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय – भारत सरकार के मध्य कॉलेज ईएलसी सुदृढ़ीकरण के संबंध में निष्पादित MoU दिनांक 02.11.2023 में निहित प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग–राजस्थान द्वारा राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर राज्य/संभाग/जिला स्तरीय कॉलेज ईएलसी नोडल अधिकारी नामित कर सूचना निर्वाचन विभाग के साथ साझा की जावेगी। उक्त नामित राज्य/संभाग/जिला स्तरीय कॉलेज ईएलसी नोडल अधिकारी विभिन्न स्तर पर कॉलेज ईएलसी गतिविधियों के सफल सम्पादन हेतु आवश्यक समन्वयन एवं सहयोग उपलब्ध करायेंगे।

g. राज्य में कॉलेज ईएलसी गतिविधियों का <u>सांकेतिक वार्षिक कलेण्डर</u> यथासमय निर्वाचन विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा। तथापि पुनः उल्लेखनीय है कि सेमेस्टर/माहवार ईएलसी गतिविधि सम्पादन के सम्बन्ध में एसओपी के बिन्दु संख्या **B, I & J** (पृष्ठ संख्या –) में उल्लेखित दिशा–निर्देश प्रभावी रहेंगे।

h. राज्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस/पूर्व – राष्ट्रीय मतदाता दिवस (**<u>Pre-NVD</u>**) गतिविधियों के आयोजन के विस्तृत दिशा – निर्देश यथा समय निर्वाचन विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

i. राज्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) को राज्य/जिला स्तर पर प्रदान किये जाने वाले **<u>Best Performing College ELC Awards (Govt. and Private</u>**) हेतु चयन के मापदण्ड मय आवश्यक विस्तृत दिशा – निर्देश यथासमय निर्वाचन विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

j. राज्य में कॉलेज ईएलसी सुदृढ़ीकरण हेतु निर्वाचन विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आपसी समन्वयन, निर्देशन एवं सहयोग सुनिश्चित करते हुए देश में लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु साझा प्रयास किये जायेंगे। इस संबंध में यथा आवश्यकता कॉलेज ईएलसी प्रगति की समीक्षा हेतु दोनों विभागों के राज्य/ जिला/ विधानसभा क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जावेगा। कॉलेज़ ईएलसी की न्यून प्रगति की स्थिति में जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के उच्च शिक्षा संस्थानों के विभागाध्यक्ष/ संस्थाप्रधानों एवं संबंधित अधिकारियों यथा संभाग/ जिला/ संस्थान स्तरीय कॉलेज़ ईएलसी नोड़ल अधिकारी, ईआरओ इत्यादि के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठक का अनिवार्य आयोजन किया जावे।

k. राज्य/क्षेत्रीय (Zone) स्तर के अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (**DEOs**), जिला **SVEEP** प्रभारी (**OICs**), जिला **SVEEP** समन्वयक, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (**EROs**), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (**AERO**), बूथ स्तरीय अधिकारी (**BLOs**) और **BLO** पर्यवेक्षक आपसी साझेदारी के कुशल निष्पादन के लिए अपने–अपने स्तर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ आवश्यक समन्वयन करेंगे और मतदाता शिक्षा/चुनावी साक्षरता तथा मतदाता पंजीकरण गतिविधियों/आयोजनों में भाग लेंगे।

l. विधानसभा क्षेत्र/ जिला / राज्य स्तर पर कॉलेज़ ईएलसी गतिविधियों की विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति तथा उक्त के सुदृढ़ीकरण एवं मॉनिटरिंग संबंधित कार्यालय की सोशल मीडिया शाखा/ प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

m. क्रमशः दोनों विभाग 21वीं सदी की ऑनलाईन एवं डिजिटल आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कॉलेज ईएलसी हेतु **<u>Online Platform/ Portal/ Monitoring Mechanism/ ELC Repository/ Google Drive/ Google Spreadsheet/ Social Media Presence</u>** इत्यादि विकसित, संधारित एवं समय समय पर अद्यतन करेंगे।

n. <u>हर वर्ष 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के अवसर पर सम्मानित और पुरस्कृत किये जाने बाबत् जिला/विधान सभा क्षेत्र/उच्च शिक्षा संस्थान स्तरीय अधिकारियों के चयन हेतु अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में कॉलेज **ELCs** के सुदृढीकरण हेतु उत्कृष्ट प्रदर्शन को भी एक मानक रखा जाना विनिश्चित किया जाता है।</u>

'Annexure - I'

Unique ELC Membership ID - **(संस्थान ELC प्रभारी द्वारा क्रमिक रूप से आवंटित)**	दिनांक –

ECI - निर्वाचन साक्षरता क्लब : सदस्यता पंजीकरण आवेदन–पत्र

उच्च शिक्षा संस्थान का नाम :____, जिला–

संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम : ____, जिला–

संस्थान के लोकसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या – (सं. – ....)

संस्थान के विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या – (सं. – ....)

1 आवेदनकर्ता छात्र/छात्रा का नाम –

2 अभिभावक का नाम –

3 अध्ययनरत कोर्स/डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम –

4 शैक्षणिक सत्र/सेमेस्टर –

5 छात्र के मतदाता पंजीकरण की स्थिति – पंजीकृत/ अपंजीकृत (✔ करें)

6 अपंजीकृत मतदाता की स्थिति में छात्र/छात्रा का मूल निवास पता – संबंधित ग्राम/वार्ड – पंचायत – वि.स. क्षेत्र/ईआरओ –

7 छात्र से समन्वयन वाले ईएलसी कैम्पस एंबेसडर का नाम एवं मोबाईल नम्बर –

ईएलसी सदस्यता हेतु आवेदक द्वारा घोषणा

मैं स्वच्छ मन से भारतीय नागरिक के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों में पूर्ण आस्था रखते हुए सत्यनिष्ठापूर्वक एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि –

- मैं बतौर संस्थान के ईएलसी सदस्य **ECI** के **SVEEP** कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन साक्षरता एवं मतदाता जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए आवश्यक सहयोग/समन्वय उपलब्ध कराऊंगा/ कराऊंगी।
- क्रमशः मैं अपने वोट देने के संवैधानिक अधिकार और नैतिक मतदान के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक हूं। इस संबंध में मैंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ का वाचन कैम्पस एंबेसडर के समक्ष कर लिया है।
- अन्ततः मैं मेरे जीवन में सभी चुनावों में अपने मताधिकार का नैतिक प्रयोग करने का वचन देता/देती हूं। इस संबंध में मैं अपने परिवार, मित्र एवं समाज को भी यथास्थिति एवं यथास्थान अवश्य एवं नैतिक मतदान करने हेतु जागरूक एवं प्रेरित करूंगा/करूंगी।

स्थान एवं दिनांक –

हस्ताक्षर
(आवेदक)

हस्ताक्षर प्रमाणितकर्ता
(कैम्पस एंबेसडर)

हस्ताक्षर स्वीकारकर्ता प्राधिकारी
(संस्थान ईएलसी प्रभारी)

'Annexure - II'

Unique ELC Membership ID - (संस्थान ELC प्रभारी द्वारा आवंटित)	दिनांक –

ECI - निर्वाचन साक्षरता क्लब कार्यकारिणी समिति : पदाधिकारी शपथ – पत्र

उच्च शिक्षा संस्थान का नाम :_______________________________________, जिला–

संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम : _______________________________________, जिला–

संस्थान के लोकसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या – (सं. – ....)

संस्थान के विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या – (सं. – ....)

1 ELC पदाधिकारी छात्र/छात्रा का नाम –

2 निर्वाचित/ नामित पद का विवरण – अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ कोर मेम्बर (✔ करें)

3 निर्वाचित/ नामित किये जाने की दिनांक –

4 क्या पदाधिकारी दिव्यांग है ? हाँ/ नहीं (✔ करें)

5 पदाधिकारी का मोबाइल नं. –

6 अध्ययनरत कोर्स/डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम –

7 शैक्षणिक सत्र/सेमेस्टर –

8 विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय Enrolment No.

ईएलसी – ईसी पदाधिकारी द्वारा घोषणा

मैं स्वच्छ मन से भारतीय नागरिक के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों में पूर्ण आस्था रखते हुए सत्यनिष्ठापूर्वक एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि –

- मैं संस्थान के उपरोक्त ईएलसी – ईसी पदाधिकारी के रुप में **ECI** के **SVEEP** कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन साक्षरता एवं मतदाता जागरूकता गतिविधियों के सफल संपादन हेतु नवीन मतदाताओं के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने समस्त कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करुंगा/ करुंगी।
- मैं पदाधिकारी के रुप में ईएलसी संयोजक/ कैम्पस एंबेसेडर संबंधी अपने समस्त उत्तरदायित्वों यथा नवप्रवेशित 17+/ 18 वर्ष की आयु वाले छात्र का आवश्यक रूप से मतदाता ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण/ पंजीकरण इत्यादि का भी निर्वहन करुंगा/ करुंगी।
- क्रमशः मैं मतदाता के रुप में पंजीकृत हूँ। मेरा किसी भी राजनीतिक दल की छात्र/ युवा शाखा से कोई जुड़ाव/ सक्रियता नहीं है। राजनीतिक दल से सम्बंध की स्थिति में मैं तात्कालिक प्रभाव से अपने पद से परित्याग हेतु संस्थाप्रधान महोदय को आवेदन प्रस्तुत कर दूंगा/ दूंगी।

स्थान एवं दिनांक –

हस्ताक्षर
(पदाधिकारी)

हस्ताक्षर प्रमाणितकर्ता
(संस्थान ईएलसी प्रभारी)

हस्ताक्षर स्वीकारकर्ता प्राधिकारी
(विभागाध्यक्ष/संस्था प्रधान)

'Annexure - III'

ECI : निर्वाचन साक्षरता क्लब – कार्यकारिणी समिति द्वारा सामूहिक मतदाता – शपथ

उच्च शिक्षा संस्थान का नाम : ______________________________, जिला–

संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम : ______________________________, जिला–

संस्थान के लोकसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या –		(सं. – ....)
संस्थान के विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या –		(सं. – ....)
निर्वाचन साक्षरता क्लब – कार्यकारिणी समिति के गठन/ पुनर्गठन की दिनांक –		

- हम संस्थान के ईएलसी – ईसी पदाधिकारी भारतीय नागरिक के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों में पूर्ण आस्था रखते हैं एवं राष्ट्र में लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु अपने कर्तव्य एवं दायित्व का सत्यनिष्ठापूर्वक निर्वहन करने हेतु वचन देते हैं और सामूहिक रुप से निम्नानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ लेते हैं –

"हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी अटूट आस्था रखते हुए, अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखने तथा प्रत्येक चुनाव में निर्भीक होकर तथा धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा या किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने की शपथ लेते हैं।"

"We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language or any inducement".

हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (1) हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (2) हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (3)

हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (4) हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (5) हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (6)

हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (7) हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (8) हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (9)

हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (10) हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (11) हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (12)

हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (13) हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (14) हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (15)

हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (16) हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (17) हस्ताक्षर – मुख्य सदस्य (18)

हस्ताक्षर – उपाध्यक्ष हस्ताक्षर – अध्यक्ष

हस्ताक्षर – संस्थान ईएलसी प्रभारी

हस्ताक्षर एवं मोहर –
(विभागाध्यक्ष/संस्था प्रधान)

'Annexure - IV'

अन्तर्राष्ट्रीय, विश्व, राष्ट्रीय एवं स्थानीय महत्वपूर्ण दिवसों की सूची

List of International Days and Weeks (UN)

January

International Day of Education (A/RES/73/25) — 24 Jan
International Day of Peaceful Coexistence (A/RES/79/269) — 28 Jan

February

World Interfaith Harmony Week, 1-7 February (A/RES/65/5) — 01 Feb
International Day of Human Fraternity (A/RES/75/200) — 04 Feb
International Day for the Prevention of Violent Extremism as and when Conducive to Terrorism (A/RES/77/243) — 12 Feb
World Day of Social Justice (A/RES/62/10) — 20 Feb

March

Zero Discrimination Day [UNAIDS] — 01 Mar
International Women's Day — 08 Mar
International Day of Happiness (A/RES/66/281) — 20 Mar
Week of Solidarity with the Peoples Struggling against Racism and Racial Discrimination, 21-27 March (A/RES/34/24) — 21 Mar
International Day for the Elimination of Racial Discrimination (A/RES/2142 (XXI)) — 21 Mar
World Poetry Day [UNESCO] (30 C/Resolution 29) — 21 Mar
World Down Syndrome Day (A/RES/66/149) — 21 Mar
International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims (A/RES/65/196) — 24 Mar
International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade (A/RES/62/122) — 25 Mar
International Day of Zero Waste (A/RES/77/161) — 30 Mar

April

International Day of Conscience (A/RES/73/329) — 05 Apr
International Day of Sport for Development and Peace (A/RES/67/296) — 06 Apr
World Health Day [WHO] (WHA/A.2/Res.35) — 07 Apr
World Creativity and Innovation Day (A/RES/71/284) — 21 Apr
International Mother Earth Day (A/RES/63/278) — 22 Apr
International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace (A/RES/73/127) — 24 Apr
International Delegate's Day (A/RES/73/286) — 25 Apr
World Intellectual Property Day [WIPO] — 26 Apr

May

World Press Freedom Day (UNESCO 26 C/Resolution 4.3) — 03 May
World Migratory Bird Day [UNEP] — 10 May
International Day of Living Together in Peace (A/RES/72/130) — 16 May
World Telecommunication and Information Society Day (A/RES/60/252) — 17 May
World Fair Play Day (A/RES/78/310) — 19 May
International Tea Day [FAO] (A/RES/74/241) — 21 May
World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development (A/RES/57/249) — 21 May
Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories, 25-31 May (A/RES/54/91) — 25 May

June

World Environment Day (A/RES/2994 (XXVII)	05 Jun
International Day for Dialogue among Civilizations (A/RES/78/286)	10 Jun
World Blood Donor Day [WHO] (WHA Resolution 58.13)	14 Jun
World Elder Abuse Awareness Day (A/RES/66/127)	15 Jun
International Day for Countering Hate Speech (A/RES/75/309)	18 Jun
International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict (A/RES/69/293)	19 Jun
World Refugee Day (A/RES/55/76)	20 Jun
International Day of Yoga (A/RES/69/131)	21 Jun
United Nations Public Service Day (A/RES/57/277)	23 Jun
International Day of Women in Diplomacy (A/RES/76/269)	24 Jun
International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking (A/RES/42/112)	26 Jun
United Nations International Day in Support of Victims of Torture (A/RES/52/149)	26 Jun
Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day (A/RES/71/279)	27 Jun
International Day of Deafblindness (A/RES/79/294)	27 Jun
International Day of Parliamentarism (A/RES/72/278)	30 Jun

July

International Day of Cooperatives (A/RES/47/90)	1st Saturday of July
World Rural Development Day (A/RES/78/326)	06 Jul
World Population Day (A/RES/45/216)	11 Jul
International Day of Hope (A/RES/79/270)	12 Jul
World Youth Skills Day (A/RES/69/145)	15 Jul
Nelson Mandela International Day (A/RES/64/13)	18 Jul
World Chess Day (A/RES/74/22)	20 Jul
International Day for Judicial Well-being (A/RES/79/266)	25 Jul
International Day of Friendship (A/RES/65/275)	30 Jul

August

International Day of Awareness of the Special Development Needs and Challenges of Landlocked Developing Countries (A /79/L.108)	06 Aug
International Day of the World's Indigenous Peoples (A/RES/49/214)	09 Aug
International Youth Day (A/RES/54/120)	12 Aug
World Humanitarian Day (A/RES/63/139)	19 Aug
International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism (A/RES/72/165)	21 Aug
International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief (A/RES/73/296)	22 Aug
International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition [UNESCO] (29 C/Resolution 40)	23 Aug
International Day of the Victims of Enforced Disappearances (A/RES/65/209)	30 Aug

September

International Day of Charity (A/RES/67/105)	05 Sep
International Day of the World's Indigenous Women and Girls (A/RES/80/10)	05 Sep
International Day of Clean Air for Blue Skies [UNEP] (A/RES/74/212)	07 Sep
International Day of Police Cooperation (A/RES/77/241)	07 Sep
International Literacy Day [UNESCO] (14 C/Resolution 1.441)	08 Sep
International Day to Protect Education from Attack (A/RES/74/275)	09 Sep
International Day of Democracy (A/RES/62/7)	**15 Sep**
International Day of Science, Technology and Innovation for the South (A/RES/78/259)	16 Sep
International Equal Pay Day (A/RES/74/142)	18 Sep

International Day of Peace (A/RES/36/67)	21 Sep
International Day of Sign Languages (A/RES/72/161)	23 Sep
World Tourism Day	27 Sep
International Day for Universal Access to Information (A/RES/74/5)	28 Sep

October

International Day of Older Persons (A/RES/45/106)	01 Oct
International Coffee Day (A/80/L.44)	01 Oct
International Day of Non-Violence (A/RES/61/271)	02 Oct
World Teachers' Day [UNESCO] (27 C/INF.7)	05 Oct
World Post Day	09 Oct
World Migratory Bird Day [UNEP]	11 Oct
World Mental Health Day [WHO]	10 Oct
International Day of the Girl Child (A/RES/66/170)	11 Oct
International Day of Rural Women (A/RES/62/136)	15 Oct
Global Media and Information Literacy Week, 24-31 October (A/RES/75/267)	24 Oct
United Nations Day (A/RES/168 (II))	24 Oct
International Day of Care and Support (A/RES/77/317)	29 Oct
World Cities Day (A/RES/68/239)	31 Oct

November

International Day to End Impunity for Crimes against Journalists (A/RES/68/163)	02 Nov
International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict (A/RES/56/4)	06 Nov
International Day for the Prevention of and Fight against All Forms of Transnational Organized Crime (A/RES/78/267)	15 Nov
International Day for Tolerance [UNESCO] (28 C/Resolution 5.61)	16 Nov
World Philosophy Day [UNESCO] (33 C/Resolution 37)	21 Nov
World Children's Day (A/RES/836(IX))	20 Nov
World Television Day (A/RES/51/205)	21 Nov
International Day for the Elimination of Violence against Women (A/RES/54/134)	25 Nov

December

International Day for the Abolition of Slavery (A/RES/317(IV))	02 Dec
International Day of Persons with Disabilities (A/RES/47/3)	**03 Dec**
International Day of Banks (A/RES/74/245)	04 Dec
International Volunteer Day for Economic and Social Development (A/RES/40/212)	**05 Dec**
Human Rights Day (A/RES/423 (V))	10 Dec
International Day of Neutrality (A/RES/71/275)	12 Dec
International Day against Colonialism in All its Forms and Manifestations (A/RES/80/106)	14 Dec
International Migrants Day (A/RES/55/93)	18 Dec
International Anti-Cybercrime Day (A/RES/79/243)	24 Dec

NATIONAL & INTERNATIONAL DAYS (As Per DAVP)

JANUARY

12th	NATIONAL YOUTH DAY
15th	ARMY DAY
23rd	NETAJI SUBHAS CHANDRA'S BIRTHDAY ANN./ NATIONAL DAY OF PATRIOTISM / DESH PREM DIVAS
25th	INDIA TOURISM DAY
26th	REPUBLIC DAY

FEBRUARY

14th	Maatri - Pitra Poojan Divas (Innovated in Rajasthan*)

MARCH

8th	INTERNATIONAL WOMEN'S DAY
12th	DANDI MARCH DAY
21st	INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION
23rd	MARTYRDOM DAY OF BHAGAT SINGH

APRIL

13th	JALLIANWALA BAGH MASSACRE / BAISAKHI
14th	BIRTH ANNIVERSARY OF DR. AMBEDKAR
23rd	WORLD BOOK DAY

MAY

1st	INTERNATIONAL LABOUR DAY / MAY DAY
3rd	WORLD PRESS FREEDOM DAY
5th	NATIONAL LABOUR DAY
8th	WORLD RED CROSS DAY
11th	TECHNOLOGY DAY
15th	INTERNATIONAL DAY OF THE FAMILY
17th	WORLD TELECOMMUNICATIONS DAY
24th	COMMON-WEALTH DAY
31st	NO TOBACCO DAY

JUNE

5th	WORLD ENVIRONMENT DAY
26th	INTERNATIONAL DAYAGAINST DRUG ABUSE & ILLICIT TRAFFICKING

JULY

11^{th}	WORLD POPULATION DAY

AUGUST

9^{th}	QUIT INDIA MOVEMENT
15^{th}	INDEPENDENCE DAY

SEPTEMBER

5^{th}	TEACHER’S DAY
8^{th}	INTERNATIONAL LITERACY DAY
14^{th}	HINDI DIVAS
27^{th}	WORLD TOURISM DAY

OCTOBER

1st -10^{th}	INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF INDIA
2^{nd}	MAHATMA GANDHI’S BIRTHDAY
2^{nd} -8^{th}	ANTI-UNTOUCHABILITY WEEK

NOVEMBER

9^{th}	LEGAL SERVICES DAY
9^{th} -14^{th}	INTERNATIONAL WEEK OF SCIENCE
14^{th} -20^{th}	WORLD HERITAGE WEEK
15^{th} –21^{st}	NATIONAL COOPERATIVE WEEK
16^{th}	INTERNATIONAL DAY FOR TOLERANCE AND PEACE
19^{th} -26^{th}	QUAMI EKTA WEEK
26^{th}	CONSTITUTION DAY

DECEMBER

3^{rd}	INTERNATIONAL DAY OF DISABLED PERSONS
5^{th}	INTERNATIONAL VOLUNTEER DAY FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
10^{th}	HUMAN RIGHTS DAY

'Annexure - V'

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं अन्य अनुशंसित सेमेस्टर/ माहवार ईएलसी गतिविधियों की सूची

16. गतिविधियों का प्रस्तावित क्रम

क्र.	गतिविधि	अनन्तिम समय
	विषम संख्या वाले सेमेस्टर	
1	निर्वाचन साक्षरता क्लब की नई कार्यकारिणी समिति का चुनाव	जुलाई
2	कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा	
3	नवागन्तुकों का वाद–विवाद	
4	रैप प्रस्तुति	अगस्त
5	कविता पाठ	
6	मूक अभिनय	
7	कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा	सितम्बरत
8	प्रेरक संवाद	
9	फोटोग्राफी प्रतियोगिता	
10	चित्रकला प्रतियोगिता	अक्टूबर
11	प्रेरक संवाद	
12	राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए तैयारी	नवम्बर
13	लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता की घोषणा	
14	चुनाव पत्रिका और कॉलेज पत्रिका के लिए फीचर	नियमित गतिविधि
	सम संख्या वाले सेमेस्टर	
15	राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन	जनवरी
16	प्रेरक संवाद	
17	फिल्म दिखाना	फरवरी
18	सी.ई.ओ. का आगमन	मार्च
19	कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा	अप्रैल
20	18 उम्र वालों के लिए पंजीकरण अभियान	मई
21	चुनाव पत्रिका और कॉलेज पत्रिका के लिए फीचर	नियमित गतिविधि

* उक्त गतिविधियों के सफल संपादन एवं आवश्यक संसाधन संबंधी विस्तृत विवरण हेतु भारत निर्वाचन आयोग – स्वीप वेबसाइट/ निर्वाचन विभाग – राजस्थान की वेबसाइट पर स्वीप – ईएलसी रिपोजिटरी के अन्तर्गत उपलब्ध कॉलेज ईएलसी मार्गदर्शिका **(Hindi/ English Version)** का संदर्भ लेवें ।

https://election.rajasthan.gov.in/SVEEP_ELC.aspx

'Annexure - V'

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं
अन्य अनुशंसित सेमेस्टर/ माहवार ईएलसी गतिविधियों की सूची

1- फॉर्म 6, 7 एवं 8 ऑनलाइन भरे जाने का हैण्ड्स – ऑन,

2- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के अवसर पर योग भी – वोट भी मतदाता शपथ कार्यक्रम,

3- लोकतंत्र सुदृढ़ीकरण, मतदाता जागरुकता एवं नैतिक मतदान के परिप्रेक्ष्य में –

- **Felicitation of Fresher Students as well, the ones - registered as Voters afresh.**
- **Essay Writing on - 'Importance of Electoral Literacy and Ethical Voting in India' & 'Informed Voters: Guardians of Democracy'.**
- **Model Matdaan,**
- **Debate/ Discussion Forums on Various Election Related Topics as -**
  (Electoral Participation of Women, PwDs;
  Road Ahead for strengthening of Democracy in India,
  Pro's & Con's of Existing Electoral System)
- **Seminar/ Table Talk/ Paper Reading on Various Election Related Topics as -**
  (Constitutional Priovisions of Right to Vote; SSR - SIR; Inclusive and Accessible Elections in India; Difference between Election Dept. - ECI & State Election Commission along with their Constitutional Provisions;
  Roles & Responsibilities of - ECI, CEO - RJ, DEOs, EROs, BLOs;
  Online Facilities for Voter by the ECI as - ECI NET, c-Vigil, VHA, KYC, Saksham App etc.;
  Comparision of Indian Electoral System with the same of other Countries)
- **Poem/ Song Writing & Singing (Main Bhaarat Hoon - Matdata Geet);**
- **Voter Awareness Plays & Nukkad Naataks at the time of elections as well occasions of Republic Day/Independence Day etc.**
- **Democracy Wall - Signature Campaign,**
- **Election Slogans' Writing Competition,**
- **Letter/Social Media Online Post in c/w motivating Society/ Parents/ Friends for mandatory as well ethical voting in elections on the Occasion of 'Maatri - Pitra Poojan Divas i.e. 14th Februrary'.**
- **Electoral Quiz Competition (including full forms of electoral glossary abbreviations as - VVPAT, CEC, CEO, DEO,ERO, AERO, PRO etc.)**
- **Voter Awareness Games & Questionnaire**
- **Voter Awareness Rally/ Human Chain,**
- **Drawing & Painting Competition in context of Electoral Literacy,**
- **Designing Rangoli & Mehandi in context of Voter Awareness,**

***** उक्त समस्त गतिविधियों के संपादन के संबंध में संस्थान की ईएलसी कार्यकारिणी समिति की बैठक में विचार–विमर्श कर निर्णय लेते हुए मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक ईएलसी कार्ययोजना (**Action Plan**) निर्मित कर ली जावे। संस्थान की एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट एवं गाइड इत्यादि योजनाओं में नामित कैडेट/ रेंजर एवं रोवर्स/ स्वंयसेवी छात्रों को भी शामिल किया जावे।

'Annexure - VI'

संस्थान स्तर पर संधारित किये जाने वाले ईएलसी रजिस्टर का प्रारुप

उच्च शिक्षा संस्थान का नाम :________________________ जिला–

संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम : ________________________, जिला–

संस्थान के लोकसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या – (सं. – ....)

संस्थान के विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या – (सं. – ....)

1	विभागाध्यक्ष / संस्थाप्रधान का नाम एवं मोबाइल नं. –			
2	संस्थान के ईएलसी प्रभारी का नाम, पद एवं मोबाइल नं. –			
3	ईएलसी कार्यकारिणी समिति गठन की दिनांक –			
4	संस्थान द्वारा सत्र में आयोजित ईएलसी कार्यकारिणी समिति बैठकों की संख्या	31.12.2026 को –	31.12.2027 को –	31.12.2028 को –
5	ईएलसी कार्यकारिणी समिति पदाधिकारियों / कैम्पस एंबेसेडर की संख्या –	छात्र – (दिव्यांग – ....)	छात्रा – (दिव्यांग – ....)	कुल संख्या –
6	ईएलसी सदस्यता फॉर्म की संख्या	31.12.2026 को –	31.12.2027 को –	31.12.2028 को –
7	संस्थान में मतदाता के रूप में अपंजीकृत नव प्रवेशित छात्रों की संख्या	31.12.2026 को –	31.12.2027 को –	31.12.2028 को –
8	17+/ 18 वर्ष की आयु वाले नवप्रवेशित छात्र के ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की संख्या	31.12.2026 को –	31.12.2027 को –	31.12.2028 को –
9	संस्थान/ईएलसी के ऑनलाईन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/ चैनल एवं एड्रेस लिंक की सूचना –			
	सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रकार	*चैनल का नाम/लिंक इत्यादि का विवरण*		
10	संस्थान द्वारा सत्र में आयोजित ईएलसी गतिविधियों की संख्या	31.12.2026 को –	31.12.2027 को –	31.12.2028 को –
11	ईएलसी गविविधियों के माध्यम से जागरूक किए गए नव मतदाताओं एवं अन्य सहभागियों की संख्या	31.12.2026 को –	31.12.2027 को –	31.12.2028 को –
12	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोजित कॉलेज़ ईएलसी बैठकों की संख्या मय दिनांक	31.12.2026 को –	31.12.2027 को –	31.12.2028 को –

हस्ताक्षर – संस्थान ईएलसी प्रभारी

हस्ताक्षर एवं मोहर –
विभागाध्यक्ष/संस्था प्रधान

'Annexure - VII'

जिला स्तर पर संचालित समस्त विश्वविद्यालयों के विभाग/संकाय तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के स्टेकहोल्डर विभाग/कार्यालयों के अधीनस्थ संचालित विविध कॉलेज/उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची

जिला – कट ऑफ दिनांक – 01/01/20.......

1. विश्वविद्यालयों के विभाग/संकायों (यदि लागू हो) की सूची								
क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम एवं पता	विश्वविद्यालय का प्रकार (राजकीय/निजी/स्वायत्त/डीम्ड)	आवासीय/गैर आवासीय	सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या	विभागाध्यक्ष/संस्था प्रधान का नाम, पद एवं मो.नं.	ईएलसी नोडल अधिकारी का नाम, पद एवं मो.नं.	ईएलसी –ईसी गठन की दिनांक	ELC - Active/In-active

जिला – कट ऑफ दिनांक – 01/01/20.......

2. महाविद्यालयों की सूची									
क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम एवं पता	महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय/निजी)	आवासीय/गैर आवासीय	सम्बद्व विश्वविद्यालय का नाम	सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या	संस्था प्रधान का नाम, पद एवं मो.नं.	ईएलसी नोडल अधिकारी का नाम, पद एवं मो.नं.	ईएलसी –ईसी गठन की दिनांक	ELC - Active/In-active

नोटः– उक्त सूचना संभाग/ जिला स्तरीय कॉलेज ELC नोडल अधिकारी तथा जिला स्वीप समन्वयक द्वारा की गई जांच के आधार पर प्रमाणित है।

हस्ताक्षर एवं मोहर –
जिला स्वीप प्रभारी अधिकारी

हस्ताक्षर एवं मोहर –
जिला निर्वाचन अधिकारी

'Annexure - VIII'

(To be sent latest by 20/12/ 20......)

जिला स्तरीय Active ELCs वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की वार्षिक सूचना

जिला –						कट ऑफ दिनांक – 15/12/20.......					
क्र. सं.	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का नाम एवं पता	आवासीय/ गैर आवासीय	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय/निजी/ स्वायत्त/डीम्ड)	सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या	सत्र में मतदाता के रूप में गैर पंजीकृत नव प्रवेशित छात्रों की संख्या	सत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत कराए गए नव प्रवेशित छात्रों की संख्या	संस्था प्रधान का नाम, पद एवं मो.नं.	ईएलसी नोडल अधिकारी का नाम, पद एवं मो.नं.	ईएलसी –ईसी गठन की दिनांक	सत्र में संपादित ईएलसी गतिविधियों की संख्या	सत्र में जागरूक किए गए नव मतदाताओं एवं सामुदायिक संभागियों की संख्या

नोटः– उक्त सूचना संभाग/ जिला स्तरीय कॉलेज ELC नोडल अधिकारी तथा जिला स्वीप समन्वयक द्वारा की गई जांच के आधार पर प्रमाणित है।

हस्ताक्षर एवं मोहर –
जिला स्वीप प्रभारी अधिकारी

हस्ताक्षर एवं मोहर –
जिला निर्वाचन अधिकारी

'Annexure - IX'
(To be sent latest by 10th of the Month)

जिला स्तरीय Active ELCs वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की त्रैमासिक सूचना

जिला –	अर्हता दिनांक (Check Box ✔ करें) –			
	01/01/20.......		01/04/20.......	
	01/07/20.......		01/10/20.......	
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा आयोजित समीक्षा बैठकों की संख्या एवं दिनांक	अद्यतन संख्या – .... (Check Box में दिनांक भरें)			
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा साझा की गई कॉलेज़ ईएलसी सोशल मीडिया पोस्ट की संख्या	अद्यतन संख्या – .... (Check Box में संख्या भरें)			

X (Formerly Twitter)		Instagram		WhatsApp	
YouTube		Facebook		Other	

क्र. सं.	अधीनस्थ विधान सभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या	अवस्थित विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों की संख्या			गठित ईएलसी –ईसी की अद्यतन संख्या			Active ELC वाले संस्थानों की अद्यतन संख्या			संपादित ईएलसी गतिविधियों की अद्यतन संख्या			जागरूक किए गए नवमतदाताओं एवं सामुदायिक संभागियों की अद्यतन संख्या		
		विश्व विद्यालय	महा विद्यालय	कुल संख्या	विश्व विद्यालय	महा विद्यालय	कुल संख्या	विश्व विद्यालय	महा विद्यालय	कुल संख्या	विश्व विद्यालय	महा विद्यालय	कुल संख्या	विश्व विद्यालय	महा विद्यालय	कुल संख्या
कुल योग																

नोटः– उक्त सूचना संभाग/ जिला स्तरीय कॉलेज ELC नोडल अधिकारी, जिला सोशल मीडिया शाखा प्रभारी/ अधिकारी, जिला स्वीप समन्वयक द्वारा की गई जांच के आधार पर प्रमाणित है।

हस्ताक्षर एवं मोहर –
जिला स्वीप प्रभारी अधिकारी

हस्ताक्षर एवं मोहर –
जिला निर्वाचन अधिकारी

103/c

मनोज कुमार साहु
उप निर्वाचन आयुक्त

Manoj Kumar Sahoo
Deputy Election Commissioner

सत्यमेव जयते

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of Indi

D.O.No. ECI/1/2023, Dated 07th November, 2023

Dear Ma'am/Sir,

As you are aware, a Memorandum of Understanding (MoU) on electoral literacy was signed on 02.11.2023 between the Election Commission of India (ECI) and the Ministry of Education, involving the Department of School Education & Literacy and the Department of Higher Education. A copy of the signed MoU is attached herewith for your kind perusal.

2. As an immediate follow up action, I have written to Secretaries of both the Departments in the Ministry of Education highlighting priorities to operationalise the provisions of the MoU. As we are racing against time for the Lok Sabha Elections 2024, following specific action points require your kind attention:

i.) Co-ordinating with State Education Departments to assess how they propose to operationalise the provisions of this MoU in every School, College and Institution of Higher Education by making it an integral part of their functioning;

ii.) Co-ordinating with State Education Boards on systematically integrating voter education and electoral literacy into the curricular framework, starting from classes 6 to 12 in all schools. A comprehensive proposal from the Commission is already under consideration of the NCERT. It is expected that they will introduce and update textbooks to include the content from next academic year and State Boards will follow suit;

iii.) Scaling up the programme of ELC and facilitating State Education Departments to have a greater sense of ownership with you to effectively run ELCs. And ELCs may be leveraged for higher youth turnout in forthcoming elections;

iv.) Evolving a robust mechanism with Schools and Colleges to fulfil the aspirational objective of ECI to handover the voter ID card to every student immediately after attaining the age of 18 years. I am sure you are taking necessary steps already under SSR, 2024;

v.) Taking up with State Education Department to see that one of the rooms in every senior secondary school is designated as the 'Democracy Room' for regular display of voter education materials

3. Looking forward to your wholehearted support for this noble endeavour.

With regards,

Yours Sincerely,
07.11.23
(Manoj Kumar Sahoo)

To,
Chief Electoral Officers of All States/ UTs

10216

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (hereinafter to be referred to as "**MOU**") is signed on this 2nd November, 2023.

BETWEEN

The **ELECTION COMMISSION OF INDIA**, a constitutional body, having its registered office at Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -01 (hereinafter referred to as "**ECI**")

AND

Ministry of Education including the **Department of School Education & Literacy (DoSEL)** and **Department of Higher Education (DoHE)** on the Other Part

And shall hereafter be collectively known as "Partners"

WHEREAS:

The ECI is a body under the Constitution mandated with the 'superintendence, direction and control' of the conduct of elections to the Parliament and every State Legislature and preparation and revision of electoral rolls;

Further, ECI has been pursuing the ideals of inclusive & accessible elections and informed & ethical voting and striving to address the issues of youth apathy (national enrolment rate in 18–19-year age cohort is less than 14%) and urban apathy (voter turnout in cities is significantly lower than the average national turnout and metropolitan cities have been amongst the least voter turnout areas of the country) by making concerted efforts and forging suitable partnerships;

POI/C

AND:

WHEREAS, the Department of School Education & Literacy is responsible for ensuring school education and literacy in the country through universal access to quality education which is fundamental for developing an equitable and just society, promoting national development, scientific advancement, national integration, and cultural preservation. The DoSEL works through its autonomous/Statutory bodies and state governments and their autonomous/ statutory bodies;

WHEREAS, the Department of Higher Education, is responsible for the overall development of the basic infrastructure of the Higher Education sector and looks after the expansion of access and qualitative improvement in Higher Education, through world-class Universities, Colleges and other Institutions and regulates all institutions imparting higher education in the country through University Grants Commission (UGC), All India Council for Technical Education (AICTE) and other statutory bodies;

AND:

WHEREAS, ECI is implementing its flagship programme called Systematic Voters' Education and Electoral Participation (hereinafter to be referred to as 'SVEEP') that aims at universal and enlightened participation of all eligible citizens in elections *inter alia* by addressing urban and youth apathy;

AND:

WHEREAS, Continuous Electoral and Democracy Education (CEDE) is an important component of SVEEP strategy which needs to be formalized and grounded in the school and higher education system in order to motivate future voters for greater electoral participation that would enable them to be responsible citizens who take pride in being a part of our democratic system in an informed manner with a sense of duty and purpose to strengthen our democracy;

AND:

WHEREAS, the National Education Policy 2020 (NEP) is a transformative initiative to usher India to prepare itself to meet the challenging demands of a 21ST Century knowledge society;

1006

AND:

WHEREAS, the National Curriculum Framework (hereinafter to be referred to as 'NCF') being developed by NCERT, an Autonomous Body under the DoSEL, is one of the key components of NEP 2020, that enables and energizes this transformation, informed by the approach of NEP 2020. The revision of NCF provides an opportunity for ECI to integrate voter education and electoral literacy in the curricular framework of various grades of schools;

AND:

WHEREAS, ECI carries out the SVEEP programme in collaboration with government departments and partner agencies at various levels who have the complementary strength and objectives; for achieving optimal and sustainable outcomes, electoral literacy needs to become a formal part of the school/college education system in the form of a structured, curricular, co-curricular and extra-curricular activities and having due linkages with accreditation and assessment systems;

AND:

WHEREAS, both Partners have agreed to enter into an MoU to collaborate in their endeavours to attract the young minds in classes 6-12 and at the college level towards understanding the democratic electoral process, teach them the specific details of the constitutional and legal foundations of our electoral system, the core values and processes of inclusive, accessible and ethical elections and the range of election technologies as a means of empowering the citizen through ease of registration and ease of participation as a voter, besides also strengthening the school and college campus system for facilitating registration of newly eligible voters;

AND:

WHEREAS, DoSEL and DoHE are also in a position to facilitate the registration of young voters.

THEREFORE:

Under this MoU, the DoSEL & DoHE, as the case may be, will:

1) Integrate voter education and electoral literacy in a systematic manner in the curricular framework under NCF for classes 6 to 12 for all schools of the country;

9ac

2) Integrate voter education and electoral literacy appropriately in the curricular framework for all colleges/universities in a manner and to the extent of credit & hours suitable for different disciplines.

3) Introduce/update textbooks of NCERT to incorporate electoral literacy and advise State Education Boards and other Boards to do the same;

4) Orient/train teachers in imparting electoral literacy in the classrooms;

5) Mainstream voter education content in teaching, learning and assessment; and voter education and electoral literacy in pre-service teacher education courses;

6) Create an institutional framework for using anonymised & aggregated UDISE (Unified District Information System for Education), All India Survey on Higher Education (AISHE) and other databases of students who have attained 17+ years of age with due regard to data privacy and protection with a view to facilitating online voter registration of eligible and prospective students after every qualifying date (1st January, 1st April, 1st July and 1st October of every calendar year) and during the Annual Summary Revision of Electoral Rolls (in the last quarter of every calendar year) using voter registration portals and mobile apps of ECI; evolve a robust mechanism to fulfil the aspirational goal of ECI to handover the Voter ID card to every student of the country immediately after their attaining the age of 18 years;

7) Develop an institutional framework for inculcating a sense of ownership amongst State Education Departments for the Electoral Literacy Clubs (ELCs) in schools/colleges for new/future voters, and other co-curricular activities for imparting voter awareness amongst students with a view to making them fully conversant with the electoral system of the country and inculcate in them the willingness to register as voters and participate in every election in a passionate, informed and ethical manner;

8) Conduct online/offline/blended training of nodal teachers for organising ELC activities and appoint/train campus ambassadors in schools and colleges to lead the ELC activities;

9) Include Electoral Literacy in the curriculum for adult literacy and basic education, develop educational content on electoral processes for life-long learning and make electoral literacy an integrated component of life-long education.

10) Disseminate communication material on electoral literacy prepared in consultation with ECI through various forms of media appropriate for school/college students;

11) Organise mobilisation campaigns and participatory activities in schools/colleges, administer a pledge to vote by students, organising mock polls, EVM-VVPAT demonstrations, information about ECI mobile apps, conduct competitions for electoral education and outreach;

12) Organise intensive activities on the occasion of National Voters' Day (25th January), and undertake voter awareness drive by students during the election time;

13) Devise a system of credits for students taking part in CEDE to pursue higher studies;

14) To regularly monitor the electoral literacy programme in all schools/colleges/universities at the national and state levels, among other things, to meet its objectives and to ensure the non-political and non-partisan character of the collaboration;

15) Introduce electoral literacy awareness programmes in colleges/universities wherever elections to student bodies are held for inculcating practices of ethical voting right from the formative days and ensuring free, fair & inducement-free ethical elections at the student union level;

16) Designate and brand one of the rooms in every senior secondary school as the 'Democracy Room' for displaying SVEEP material on regular basis and conducting CEDE activities around the year;

17) Ensuring end-to-end accessibility of every school/college building which is used as a polling station during elections, by providing standard ramps (1:10 gradient slope); an adequate number of separate male and female toilets and accessible toilets; and proper lighting/electricity.

18) Devise a mechanism by which the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) includes electoral literacy as one of the components in conducting assessment and accreditation of Higher Educational Institutions.

971 c

THAT THE ECI WILL:

1) Provide information, inputs, and assistance in defining content to be included in the curricular framework so that electoral literacy becomes an integral part of the school education system and the adult education system.

2) Identify co-curricular content based on activities, which could also be suitably developed in consultation with DoSEL/DHE;

3) Prepare online content for training and conduct training of master trainers in the domain of SVEEP and outreach activities for capacity building of teachers/field functionaries;

4) Share prototype IEC material for wider dissemination through MoE infrastructure, networks and platforms;

5) Chief Electoral Officers (CEOs), District Election Officers (DEOs), Electoral Registration Officers (EROs), and Booth Level Officers (BLOS) shall coordinate with the school/ higher education administration at respective levels for efficient execution of the partnership and take part in voter education and voter registration activities/events.

THAT BOTH THE PARTNERS WILL:

1. Operationalize the provisions of this MoU in every School /Centrally Funded College / University by making it an integral part of the routine functioning of their relevant authorities and personnel and issue necessary directions to all the other Colleges / Universities for making it an integral part of the routine functioning of their relevant authorities and personnel.

2. Report and document action taken and lessons learnt under the MoU and appropriately disseminate success stories;

3. Review the operationalization of this MoU on a six-monthly basis or such other shorter periods as mutually decided at the national level;

46/c

This MoU will be valid for a period of five years, unless cancelled earlier with mutual consent, and can be extended from time to time.

Signed on behalf of:

First Party:

Signature

02/11/2023

Manoj Kumar Sahoo

(Deputy Election Commissioner)

मनोज कुमार साहू / MANOJ KUMAR SAHOO
उप निर्वाचन आयुक्त / Deputy Election Commissioner
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
निर्वाचन सदन/Nirvachan Sadan
अशोक रोड /Ashoka Road
नई दिल्ली–110001 /New Delhi-110001

Second Party :

Signature

(रीना सोनोवाल कौलि)
(RINA SONOWAL KOULI)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
भारत सरकार/Govt. of India
शिक्षा मंत्रालय/Min. of Education
उच्चतर शिक्षा विभाग/D/o Higher Education
New Delhi

1. **Smt. Rina Sonowal Kouli**

 Joint Secretary (Higher Education)

 Department of Higher Education, MoE

Signature

2. **Smt. Prachi Pandey**

 Joint Secretary (Institutions & Training)

 Department of School Education & Literacy, MoE

(प्राची पाण्डेय)
(PRACHI PANDEY)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
शिक्षा मंत्रालय/Min. of Education
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग/D/o School Education & Literacy
शास्त्री भवन, नई दिल्ली/Shastri Bhawan, New Delhi

In the presence of:

02/11/23

Signature

Santosh Ajmera

(Director)

संतोष अजमेरा / SANTOSH AJMERA
निदेशक / Director
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
निर्वाचन सदन/Nirvachan Sadan
अशोक रोड /Ashoka Road
नई दिल्ली–110001 /New Delhi-110001

Signature

Love Kush Yadav
(Under Secretary)

लवकुश यादव /LOVE KUSH YADAV
अवर सचिव /Under Secretary
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
निर्वाचन सदन / Nirvachan Sadan
अशोक रोड / Ashoka Road
नई दिल्ली-110001 / New Delhi-110001

Signature

Ajeet Kumar
(Under Secretary)

(अजीत कुमार)
अवर सचिव/Under Secretary
भारत सरकार/Govt. of India
शिक्षा मंत्रालय/Min. of Education
उच्चतर शिक्षा विभाग/D/o Higher Education
शास्त्री भवन, नई दिल्ली/Shastri Bhawan, New Delhi

Signature

Praveen Kumar Sachan
(Under Secretary)

(प्रवीन कुमार सचान/Praveen Kumar Sachan)
अवर सचिव/Under Secretary
भारत सरकार/Govt. of India
शिक्षा मंत्रालय/Ministry of Education
...ducation & Literacy
शास्त्री भवन, नई दि... ...an, New Delhi

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कॉलेजों के लिए संदर्भ मार्गदर्शिका

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कॉलेजों के लिए संदर्भ मार्गदर्शिका

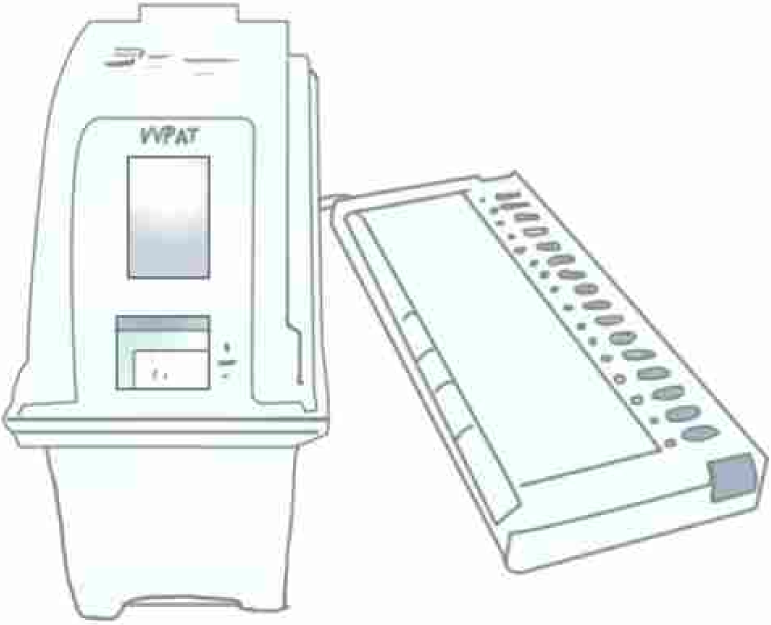

Published in 2018 by the Election Commission of India
Nirvahcan Sadan, Ashoka Road, New Delhi, 110001
Re Print- 2019

*Text, Photographs and Illustrations
Copyright © Election Commission of India*

विषय सूची

1. परिचय--05
2. उद्देश्य --05
3. सदस्य--06
4. स्वरूप--06
5. नोडल अधिकारी एवं मार्गदर्शी------------------------------------06
6. कार्यकारिणी समिति---07
7. संयोजक--08
8. कार्यकाल --09
9. आयोजन–स्थल --09
10. निर्वाचन साक्षरता क्लब के सत्रा------------------------------------09
11. गतिविधियाँ---09
12. सोशल मीडिया की उपस्थिति एवं उसका विस्तार----------------10
13. आवश्यक नियम ---10
14. दिव्यांग विद्यार्थियों का समावेश-------------------------------------11
15. निर्देश सहित गतिविधियाँ ---12
    I. चुनाव पत्रिका ---13
    ii. कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा------------------------------06
    iii. युवा मतदाता महोत्सव---18
    iv. विशेष अभियान--21
    v. वाद–विवाद/व्याख्यान प्रतियोगिता -------------------------------22
    vi. राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह ------------------------------------23
    vii. प्रेरक संवाद--24
    viii. कॉलेज की पत्रिाका में फीचर------------------------------------25
    ix. सोशल मीडिया पर आधारित गतिविधि---------------------- 25
16. गतिविधियों की प्रस्तावित सूची------------------------------------ 26
17. संसाधन---27

Happy International Women's Day
DEMOCRACY WALL
A QUITTER, BE A VOTER

1. निर्वाचन साक्षरता क्लब – परिचय

हमारे में निर्वाचन साक्षरता बढ़ावा देने के लिए देश में निर्वाचन साक्षरता क्लब बनाए जा रहे हैं। ये क्लब हर उम्र के भारतीय नागरिकों को निर्वाचन साक्षरता देने का काम करेंगे। यह निर्वाचन साक्षरता रोचक व मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से दी जाएगी। साक्षरता देने का तरीका ऐसा होगा कि लोग व्यावहारिक रूप से अनुभव प्राप्त कर सकें। यह सब काम तटस्थ रहकर और बिना किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हुए किया जाएगा।

निर्वाचन साक्षरता क्लब विशेष रूप से देश भर के कॉलेजों में बनाए जा रहे हैं। कॉलेजों में बनाए जाने वाले ये क्लब उन नए मतदाताओं (18 से 21 वर्ष के युवा) को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं।

सभी सेमेस्टरों में पढ़ने वाले विद्यार्थी क्लब के सदस्य होंगे। नीचे के खण्डों में विस्तार से बताया गया है कि निर्वाचन साक्षरता क्लब कैसे बनाए जाएँगे, इनके प्रतिभागी कौन होंगे, संयोजक कौन होंगे, इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, कैसे किए जाएगा और इनमें कौन सी गतिविधियाँ होंगी।

2. उद्देश्य

निर्वाचन साक्षरता क्लब के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

I. लक्ष्य–समूह को मतदाता पंजीकरण, चुनाव प्रक्रिया और अन्य सम्बन्धित विषयों की जानकारी देना। यह जानकारी उनको गतिविधियों में भागीदार बनाकर दी जाएगी, ताकि वे खुद अनुभव करके सीख सकें;

ii. ई.वी.एम. और वी.वी.पैट. से परिचय कराना, ई.वी.एम. की मजबूती के बारे में बताना, और यह बताना कि ई.वी.एम. के प्रयोग से चुनाव प्रक्रिया में प्रामाणिकता बनी रहती हैं;

iii. लक्ष्य–समूह की अपने वोट का महत्त्व समझने में सहायता करना और उन्हें अपने मतदान के अधिकार का पूरे विश्वास के साथ, सुखद स्थिति में और नैतिक तरीके से प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना;

iv. निर्वाचन साक्षरता को समुदाय तक पहुँचाने के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों की क्षमताओं को विकसित करना;

v. ऐसे सदस्यों के लिए, जो मतदाता बनने के लिए पात्र हैं, परन्तु अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हुए हैं, पंजीकरण की राह सुगम बनाना; और

vi. चुनाव में भागीदारी करने, सोच–समझकर और नैतिकता के साथ अधिक से अधिक मतदान करने तथा **'हर वोट महत्वपूर्ण है'** व **'कोई मतदाता न छूटे'** का सिद्धान्त अपनाने की संस्कृति विकसित करना;

3. सदस्य

क्लब के सदस्य विद्यार्थी होंगे। कोई भी विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अपना पंजीकरण कराकर सदस्य बना सकता/सकती है। पंजीकरण के बाद वह तब तक के लिए सदस्य बन जाएगा/जाएगी, जब तक उसका ग्रेजुएशन का कोर्स पूरी नहीं हो जाता।

4. स्वरूप

निर्वाचन साक्षरता क्लब का नाम कॉलेज/संस्थान के नाम पर रखा जाएगा। इसे नोडल अधिकारी बनाएँगे और वे ही इसका समन्वयन करेंगे। प्रत्येक कॉलेज में एक निर्वाचन साक्षरता क्लब बनाया जाना प्रस्तावित है। परन्तु, यदि जरूरत हो तो, विश्वविद्यालय के अन्दर ही विभिन्न विभागों/स्कूलों में इसकी शाखाएँ बनाई जा सकती हैं। संस्थान यह तय करेगा कि अपनी सुविधा से किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाया जाना है।

5. नोडल अधिकारी/मार्गदर्शी (मेन्टर)

कॉलेज के राजनीति शास्त्र विभाग के एक या दो अध्यापक निर्वाचन साक्षरता क्लब के नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे। वे उस क्लब के मार्गदर्शी के रूप में भी काम करेंगे। इस काम के लिए उन अध्यापकों को वरीयता दी जानी चाहिए, जिन्हें चुनावों में दायित्व निभाने का अनुभव हो। उनका मुख्य काम होगा –

i. क्लब के नामांकन को बढ़ाना और उसकी देखरेख करना।

ii. निर्वाचन साक्षरता क्लब की कार्यकारिणी समिति के चुनाव की देखरेख करना और उसका गठन करना।

iii. जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन साक्षरता क्लब के बीच संसाधनों व सूचनाओं के आदान–प्रदान में समन्वयन करना।

iv. नए संसाधन पैदा करने की कोशिश करना और उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजना।

v. कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाए जाने वाले गतिविधियों के वार्षिक कैलेण्डर को बनाने के लिए मार्गदर्शन देना व उसकी देखरेख करना।

नोट– नोडल अधिकारी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को चुनावी साक्षरता क्लब के कामों में लगाने के लिए स्वतंत्रा होंगे।

6. कार्यकारिणी समिति

I. क्लब का संचालन एक चुने हुए समूह द्वारा किया जाएगा। यह समूह निर्वाचन साक्षरता क्लब के विद्यार्थी सदस्यों में से ही चुना जाएगा। इसमें हर कक्षा के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे।

II. समिति में केवल वही विद्यार्थी शामिल होंगे, जो मतदाता के रूप में नामांकित हो चुके हैं।

III. राजनीति में सक्रिय कोई भी विद्यार्थी समिति में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पर राजनीति से जुड़ाव रखने वाले विद्यार्थी निर्वाचन साक्षरता क्लब के सामान्य सदस्य के रूप में अपना नामांकन करा सकते हैं।

IV. चुने हुए प्रतिनिधि ही निर्वाचन साक्षरता क्लब की कार्यकारिणी समिति का गठन किया करेंगे।

V. चुने हुए प्रतिनिधि अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

VI. कार्यकारिणी समिति नोडल अधिकारी के निर्देशन में, उनकी सलाह से और उनकी ही देखरेख में निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों को आयोजन करेगी।

VII. यह चुनी हुई समिति निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों में निर्वाचन में भागीदारी करने की संस्कृति विकसित करने की कोशिश करेगी। समिति की भूमिका निम्नवत् होगी –

- i. क्लब में नामांकन करवाना।
- ii. निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों का नियोजन करना और गतिविधियों का वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना।
- iii. निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों के सुविधाजनक संचालन के लिए अतिरिक्त दिशा–निर्देश बनाना।
- iv. कैलेण्डर के अनुसार गतिविधियों का संचालन हो रहा है या नहीं, इसकी देखरेख करना।
- v. निर्वाचन साक्षरता क्लब के लिए संसाधन पैदा करना।
- vi. जो विद्यार्थी मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हुए हैं, उनका नामांकन कराने के लिए मार्ग प्रशस्त करना।

7. संयोजक

जहाँ कहीं भी कैम्पस दूत (एम्बेसडर) नियुक्त किए गए हैं, वहाँ वे निर्वाचन साक्षरता क्लब के संयोजक के रूप में काम करेंगे, और कार्य–सम्पादन में नोडल अधिकारी का सहयोग करेंगे। जहाँ कैम्पस दूत नियुक्त नहीं किए गए हैं, वहाँ नोडल अधिकारी और कार्यकारिणी समिति इच्छुक विद्यार्थी/विद्यार्थियों को संयोजक के रूप में नामित करेंगे। संयोजक के दायित्व निम्नवत् होंगे–

I. सदस्य विद्यार्थियों को चिह्नित कर उन्हें निर्वाचन साक्षरता क्लब की विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में शामिल करना।

II. कार्यकारिणी समिति और मार्गदर्शी/नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में गतिविधियों का संचालन करना।

III. कोई भी अन्य कार्य, जो कार्यकारिणी समिति और मार्गदर्शी/नोडल अधिकारी द्वारा सौंपे गए हों।

8. कार्यकाल

I. निर्वाचन साक्षरता क्लब की कार्यकारिणी समिति और संयोजक का कार्यकाल एक वर्ष का होगा, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। समय की यह गणना उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी। कार्यकाल के बारे में अन्तिम निर्णय नोडल अधिकारी का होगा।

II. प्रतिनिधि को निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य के रूप में पंजीकृत होना होगा।

9. आयोजन–स्थल

निर्वाचन साक्षरता क्लब की बैठक कक्षा के बाद किसी कक्ष में की जा सकती है। इसके अलावा, कार्यकारिणी समिति द्वारा तय किए गए किसी अन्य स्थान पर भी बैठक आयोजित की जा सकती है। विभिन्न गतिविधियों के अनुसार आयोजन–स्थल बदला भी जा सकता है।

10. चुनावी साक्षरता क्लब के सत्र

सत्र गतिविधियों पर आधारित होंगे। इसके लिए एक शैक्षणिक सत्र में कुल 8 से 10 घंटे का समय निर्धारित होगा। निर्वाचन साक्षरता क्लब कॉलेज के सभी विद्यार्थियों के लिए होगा।

11. गतिविधियाँ

कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई निर्वाचन साक्षरता मार्गदर्शिका में गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कार्यकारिणी समिति को यह स्वतंत्राता है कि वह गतिविधियों में बदलाव कर सकती है या नई गतिविधियाँ भी बना सकती है। पर ये गतिविधियाँ मतदाता साक्षरता से ही जुड़ी हों। इन गतिविधियों में से चुनाव पत्रिाका की गतिविधि क्लबों द्वारा हर महीने आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम होगा। कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा और विशेष पंजीकरण अभियान वे गतिविधियाँ हैं, जो अनिवार्य रूप से करनी होंगी।

12. सोशल मीडिया की उपस्थिति और विस्तार

I. निर्वाचन साक्षरता क्लब की कार्यकारिणी समिति से यह आशा की जाती है कि वे प्रासंगिक विषय सामग्री को (कार्यक्रमों की घोषणाएँ, नवीनतम सूचनाएँ, परिणाम, की गई पहल, सामयिक संदर्भों से जुड़ी घटनाएँ, ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रतियोगिताएँ, पंजीकरण अभियान व अन्य) नियमित रूप से किसी समर्पित फेसबुक पेज पर और ग्रुप में दें, यूट्यूब चैनल (कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण, पहले से रिकॉर्ड की गई विषय. सामग्री और अन्य सम्बन्धित सामग्री) पर दें। इसे नोडल ऑफीसर/मार्गदर्शी (स्थायी) और वर्तमान समिति (1 वर्ष का कार्यकाल) प्रस्तुत करें।

II. इसके साथ–साथ कार्यकारिणी समिति से यह आशा भी की जाती है कि वे प्रासंगिक सामग्री का रखरखाव करेंगे और उसे नियमित रूप से किसी समर्पित पिनटरेस्ट बोर्ड और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डालेंगे। किसी भी सामग्री को ऑनलाइन करने से पहले प्रशासकों द्वारा उसकी उपयुक्तता की जाँच कर लेनी चाहिए, साथ ही, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि सामग्री पूरी तरह से तटस्थ हो और विवेकपूर्ण हो।

III. कॉलेज/विश्वविद्यालय के चुनावी साक्षरता क्लब के फेसबुक और यूट्यूब प्रोफाइल को भारत निर्वाचन आयोग के फेस बुक पेज और आधिकारिक यूट्यूब चैनल से जोड़ दें।

नोट– कॉलेज और विश्वविद्यालय के निर्वाचन साक्षरता क्लब अपने प्रसार के लिए अन्य ऑनलाइन ओर सोशल मीडिया मंचों से जुड़ने के लिए स्वतंत्रा हैं। नोडल ऑफीसर यह सुनिश्चित करेंगे कि जो सामग्री ऑनलाइन साझा की जा रही है, वह तटस्थ और निष्पक्ष हो।

13. आवश्यक नियम

I. निर्वाचन साक्षरता क्लब का किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक समूह से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

II. निर्वाचन साक्षरता क्लब की किसी भी गतिविधि (प्रेरणा देने वालों को आमंत्राण, कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा, अन्य सांस्कृतिक गतिविधि) में किसी विचारधारा–विशेष या दल–विशेष से जुड़े लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए।

III. जहाँ तक भागीदारी का सम्बन्ध है, विद्यार्थी, चाहे वे किसी भी रानीतिक विचारधारा से जुड़े हों, निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं।

IV. यह कार्यकारिणी समिति का दायित्व है कि वह अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद वार्षिक आख्या तैयार करे। वार्षिक आख्या में वर्ष भर में आयोजित की गई गतिविधियों (ऑनलाइन और ऑफलाइन), निभाए गए दायित्वों और निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा दर्शाए गए परिणामों का विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिए। इसे नोडल ऑफीसर के माध्यम से सम्बन्धित डी.ई.ओ. को प्रस्तुत किया जा सकता है।

14. दिव्यांग विद्यार्थियों का समावेश

निर्वाचन साक्षरता क्लब एक ऐसा समावेशी क्लब होगा, जो दिव्यांग विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास करेगा।

- संयोजक इनके समावेश को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे और क्लब के दूसरे सदस्यों को इसके लिए संवेदनशील बनाएँगे।
- निर्वाचन साक्षरता क्लब की सभी गतिविधियाँ कॉलेज भवन की निचली मंजिल पर आयोजित होनी चाहिए, जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों को पहुँचने में आसानी हो।
- अगर कोई ऐसा विद्यार्थी बैठक में शामिल हो रहा हो, जो सुन नहीं पाता, तो उसकी सुविधा के लिए इशारों की भाषा समझने वाले दुभाषिये की सेवाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। (यह दुभाषिया उस विद्यार्थी का कोई ऐसा साथी हो सकता है, जो पहले से ही उसके के लिए यह कार्य करता हो।)
- क्लब में की जाने वाली किसी भी गतिविधि में दिव्यांग विद्यार्थियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।
- क्लब में दिव्यांग विद्यार्थियों की ठीक–ठाक संख्या होनी चाहिए।

15. निर्देशों सहित गतिविधियाँ

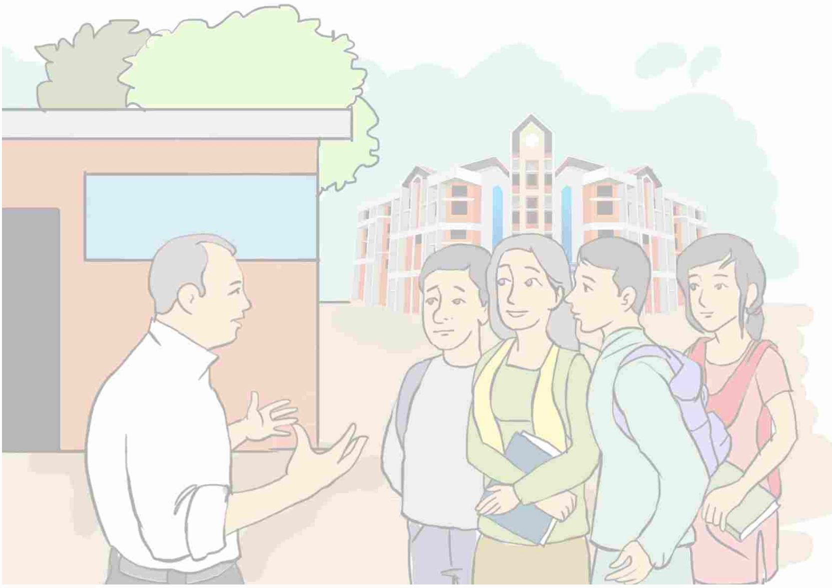

चुनाव पत्रिका के पीछे विचार यह है कि निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित सूचनाओं और संदेशों को मनोरंजक, कल्पनाशील और रोचक ढंग से बनाकर लोगों तक पहुँचाया जाए। साथ ही, इसे तैयार करने में सभी विद्यार्थियों को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

इस काम के लिए कॉलेज के किसी मुख्य हिस्से की दीवार का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे **'निर्वाचन साक्षरता दीवार'** कहा जाएगा। दीवार पर निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित विभिन्न विषय–सामग्री प्रदर्शित की जाएँगी। यह सामग्री दीवार पर चिपकाई जा सकती है या पिन की मदद से लगाई जा सकती है या, अगर इजाजत मिले तो, रंगो से लिखी भी जा सकती है।

कॉलेज प्रशासन कॉलेज के गलियारे में किसी निर्दिष्ट स्थान पर एक दीवार या डिस्प्ले बोर्ड आवंटित करेगा। चुनाव पत्रिका का थीम/मुख्य विषय हर महीने बदला जाएगा।

विधि–

1. कार्यकारिणी समिति के मार्गदर्शन में निर्वाचन साक्षरता क्लब दीवार पत्रिका बनाएगा। चुनाव पत्रिका को बनाने के लिए सदस्यों का एक समूह मुख्य दल के रूप में काम कर सकता है।
2. चुनाव पत्रिका का थीम/मुख्य विषय हर महीने बदल जाएगा।
3. चुनाव पत्रिका के लिए हर सेमेस्टर के विद्यार्थियों से योगदान लिया जाएगा। यह योगदान वर्तमान विषय पर लेखों, निबन्धों, कविताओं, रेखाचित्रों, चित्रों, पत्रों, शब्द पहेलियों आदि के रूप में हो सकता है।
4. थीम/मुख्य विषय के अन्दर की विषय–वस्तु हर सप्ताह या हर पन्द्रह दिन में बदल जाएगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विद्यार्थियों से रचनाओं के रूप में कितना योगदान मिलता है।
5. चुनाव पत्रिका में निर्वाचन साक्षरता क्लब की उस महीने में आयोजित होने वाली मुख्य गतिविधियों से सम्बन्धित घोषणाएँ भी प्रदर्शित की जाएँगी।
6. दीवार को चार मुख्य भागों में बाँटा जाएगा।

समय

भाग 1 इस भाग में चुनाव सम्बन्धी शब्दों के अर्थ और थीम/मुख्य विषय से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मूल बातें लिखी जाएँगी। इनके 2–3 पन्ने हो सकते हैं, पर महत्त्वपूर्ण विवरण/ सूचनाओं के अंश थीम/मुख्य विषय से ही सम्बन्धित होने चाहिए।	**भाग 2** इस भाग में वर्तमान थीम/मुख्य विषय पर विद्यार्थियों की रचनाओं/योगदान को स्थान दिया जाएगा। ये रचनाएँ चुनाव. प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर आधारित होंगी। ये रचनाएँ विद्यार्थियों की स्वयं की होंगी और दृष्टांत रूप में प्रस्तुत की जाएँगी विकल्प के रूप में, इस भाग में थीम/मुख्य विषय से सम्बन्धित चुनाव की कहानियाँ भी दी जा सकती हैं, जो 'मतदान में विश्वास' से ली जा सकती हैं।
भाग 3 इस भाग में चुनाव पत्रिका पढ़ने वालों से थीम/मुख्य विषय से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर आमंत्रित किए जाएँगे, जैसे– 'क्या आप वोट देने के लिए पात्रा हैं ?' 'मतदाता कैसे बनें ?' आदि। विद्यार्थी अपने उत्तर लिख सकें, इसके लिए इसी भाग में जगह दी जाएगी।	**भाग 4** इस भाग में निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य गतिविधियों के बारे में घोषणाएँ व विवरण दिए जाएँगे। इस भाग का एक हिस्सा खाली छोड़ दिया जाएगा, ताकि देखने वाले/पढ़ने वाले वहाँ अपने प्रश्न लिख सकें। जिला सम्पर्क केन्द्र का नम्बर इस तरह लिखा जाएगा कि उस पर खास तौर से सबका ध्यान जाए।

चुनाव पत्रिका हर महीने नए थीम/मुख्य विषय के साथ अद्यतन कर दी जाएगी। चुनाव पत्रिका में लिखी गई बातें हर रोज या हर सप्ताह बदली जा सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विद्यार्थियों से रचनाओं के रूप में कितना योगदान मिलता है।

चुनाव पत्रिका के लिए प्रस्तावित थीम/मुख्य विषय

नीचे चुनाव पत्रिाका के लिए थीम/मुख्य विषयों की सूची दी गई है–

1. लोकतंत्र : लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार
2. मेरा वोट मेरा अधिकार है/ वोट का मूल्य
3. समावेशी चुनाव : हर वोट का महत्त्व बराबर है
4. सोच–समझकर और नैतिकता के साथ मतदान
5. आदर्श आचार संहिता
6. वोट की गोपनीयता
7. ई.वी.एम. और वी.पी. पैट. के प्रयोग के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता
8. अपने उम्मीदवार को जानना
9. राष्ट्रीय मतदाता दिवस
10. चुनाव घोषणा पत्र
11. एक्जिट और ओपीनियन पोल
12. सोशल मीडिया और राजनीतिक अभियान
13. समावेशी चुनाव

गतिविधिः कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा

कॉफी हाउस चर्चा की पुरानी संस्कृति को पुनर्जीवित करते हुए कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा गतिविधि में कॉलेज कैण्टीन और कैफे में चर्चा और ब्रेन स्टॉर्मिंग के सत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। यह चर्चा निर्वाचन की पूरी प्रणाली में युवाओं के समावेश, उनके जुड़ाव और उनकी भागीदारी से जुड़े विष्यों पर हो सकती है और चुनावी साक्षरता क्लब के सदस्य इस चर्चा को संयमित रख सकते हैं।

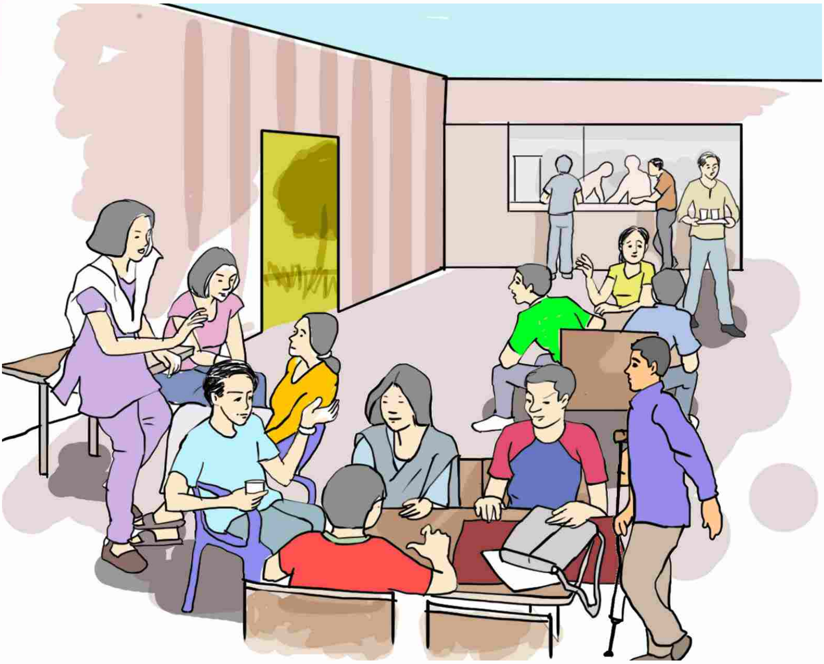

प्रतिभागी– कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा निर्वाचन साक्षरता क्लब के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक गतिविधि है। जो निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य नहीं हैं, वे भी कॉफी सत्रों में शामिल हो सकते हैं।

प्रक्रिया– दिन भर में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताने के बाद सत्र सभी उपस्थित लोगों के लिए खुला होगा, ताकि वे सम्बन्धित विषय पर अपने विचार, राय और दृष्टिकोण रख सकें। यद्यपि इसका स्वरूप अनौपचारिक है,

पर प्रतिभागियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गतिविधि में पूरी तरह से शामिल हों और योगदान भी करें। निर्वाचन साक्षरता क्लब को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्र को अंग्रेजी और उपयुक्त क्षेत्रीय भाषा में मिश्रित रूप से संचालित किया जाए। चूँकि यह पूरी तरह एक ही जगह पर की जाने वाली गतिविधि है, इसलिए निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं या इसे सोशल मीडिया पर सजीव प्रसारित भी कर सकते हैं, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके।

अवधि– 2 घंटे

सम्भावित थीम (मुख्य विषय)– निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा के लिए स्वयं ही थीम/मुख्य विषय तय कर सकते हैं या नीचे दी गई सूची में से कोई विषय चुन सकते हैं–

- मतदाता शिक्षा : एक ऐसी जरूरत, जिसे कम आँका जाता है
- सरकार को मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए
- भारत कैसे मतदान करेगा?
- चुनावों में समावेश
- ऑनलाइन मतदान : आगे बढ़ने का रास्ता या सम्भावनायुक्त भानुमती का पिटारा
- क्या गम्भीर आरोपों में अभियुक्त उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए?
- ओपीनियन और एक्जिट पोल को प्रतिबन्धित और विनियमित कर देना चाहिए।
- ई.वी.एम./वी.वी.पैट. के बारे में जागरूकता
- यह जानना कि आप क्या नहीं चाहते : नोटा (NOTA)

गतिविधि : युवा मतदाता महोत्सव

यह 1–2 दिन का उत्सव होगा, जो चुनावी साक्षरता क्लब के सदस्यों द्वारा विषम संख्या वाले सेमेस्टर में आयोजित किया जाएगा। विद्यार्थियों की अगर इच्छा हो तो वे इस गतिविधि में भाहर के सभी कॉलेजों को शामिल कर लें या केवल अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ही महोत्सव आयोजित करें। यह महोत्सव सभी कॉलेजों के सदस्यों को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साथ लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस गतिविधि में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं–

चित्रकला प्रतियोगिता– इसमें भित्ति चित्र, पोस्टर, काष्ठकला, लिथोग्राफी आदि शामिल किए जा सकते हैं। कॉलेज/विश्वविद्यालय के चुनावी

साक्षरता क्लब सिर्फ अपने कॉलेज में भी यह प्रतियोगिता कर सकते हैं, अथवा अन्य कॉलेजों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। अन्य कॉलेजों को जोड़ने से चुनावों, निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान, लोकतंत्र और राजनीति से जुड़े विभिन्न विषयों पर मिल–जुलकर जागरूकता का प्रसार किया जा सकता है। साथ ही, युवाओं को इन मुद्दों पर संवेदनशील बनाया जा सकता है।

मूक अभिनय/नुक्कड़ नाटक/रोड शो– वह कार्यक्रम कॉलेज की नाट्य समिति के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है। इसका प्रदर्शन

खास–खास युवा उत्सवों, जैसे– मूड इण्डिगो, अन्तराग्नि, ओएसिस, मल्हार, रेण्डेवू आदि, में किया जा सकता है।

फोटोग्राफी प्रतियोगिता, फिल्म प्रदर्शन और लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता– इस कार्यक्रम को कॉलेज/विश्वविद्यालय की फोटोग्राफी समिति या फिल्म समिति के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है। फिल्में, डॉक्यूमेंटरी और स्थिर चित्र बहुत कारगर तरीके से संदेश देने के साधन हैं। इनसे सम्बन्धित विषयों, जैसे– निर्वाचन प्रक्रिया, चुनाव, लोकतंत्र, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आदि, के बारे में दर्शकों तक प्रभावी तरीके से अपनी बात पहुँचाई जा सकती है तथा जागरूकता पैदा की जा सकती है। ये प्रेरणा देने और बदलाव लाने वाले साधनों के रूप में काम करते हैं। यदि इन का प्रयोग उचित और प्रभावी ढंग से किया जाए तो ये व्यवहार–परिवर्तन में मददगार हो सकते हैं।

निर्वाचन साक्षरता क्लब को लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता और फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए थीम/विषयों की घोषणा कॉलेज/विश्वविद्यालय के सामान्य विद्यार्थियों के साथ चर्चा करके पहले ही कर देनी चाहिए। इसी तरह, दिखाई जाने वाली फिल्मों की सूची कॉलेज/विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अनुमोदन के आधार पर तैयार की जा

सकती है। फिल्म दिखाने के बाद निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा फॉलो अप, अध्ययन व विश्लेषण का सत्र आयोजित किया जा सकता है।

नृत्य/संगीत प्रतियोगिता—यह कार्यक्रम क्रमशः कॉलेज/ विश्वविद्यालय की नृत्य और संगीत समिति के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों को नृत्य के माध्यम से विषयों पर अपनी सम्बन्धित बात कहने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, साथ ही, ऐसे गीतों की प्रतियोगिताएँ कराई जा सकती हैं, जो युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करें। इसमें विद्यार्थियों की संगीत मण्डलियाँ/बैण्ड हिस्सा ले सकते हैं।

इसके अलावा, निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य इन गतिविधियों को व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, और इनके लिए शैक्षणिक वर्ष में किसी भी समय अलग से प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं।

रैप प्रस्तुति और कविता पाठ— यह कार्यक्रम कॉलेज/विश्वविद्यालय की साहित्यिक समिति या संगीत समिति के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है। रैप प्रस्तुतियाँ और कविता पाठ युवाओं को जोड़ने के बहुत प्रचलित माध्यम हैं। रैप और कविता पाठ की प्रतियोगिताएँ अपने ही कॉलेज में करवाई जा सकती हैं या कई कॉलेजों को इसमें जोड़ा जा सकता है। प्रतिनिधित्व, बदलाव के वाहक युवा, लोकतंत्र, चुनाव, राजनीति, मताधिकार, व ऐसे ही अन्य सम्बन्धित विषयों को इन माध्यमों से बहुत अच्छी तरह से उजागर किया जा सकता है। निर्वाचन साक्षरता क्लब विद्यार्थी—समूहों को जोड़ने और उनसे संवाद सथापित करने के लिए समय—समय पर इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकता है। विजेता चुनने के लिए विशेष निर्णायकों को आमंत्रित किया जा सकता है अथवा वोटिंग का कोई तरीका भी बनाया जा सकता है।

चुनाव प्रश्नोतरी (क्विज)— निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा कॉलेज/ विश्वविद्यालय की प्रश्नोत्तरी समिति के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए चुनाव और चुनाव—प्रक्रिया पर प्रश्नोत्तरी करवाई जा सकती है।

मतदाता शपथ— कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवाओं के लिए सभा (असेम्बली) और उसमें मतदाता शपथ लेना एक अनिवार्य गतिविधि होगी। निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य इस शपथ ग्रहण का प्रचार.प्रसार सोशल मीडिया पर भी कर सकते हैं।

गतिविधि: विशेष अभियान

कॉलेज के सभी विद्यार्थी, जो भारतीय नागरिक हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वोट देने के लिए पात्र हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि वे सभी निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हों। निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों को यह दायित्व सौंपा जाएगा कि वे अपने साथियों को पंजीकृत होने के लिए प्रेरित करें। वे इसके लिए एक विशेष पंजीकरण अभियान चलाएँगे।

प्रक्रिया

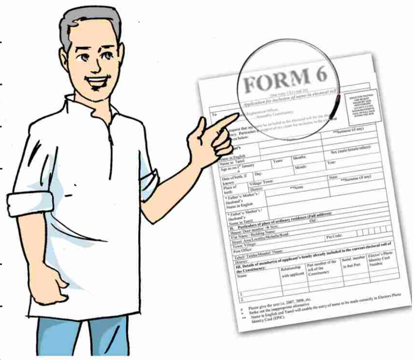

- निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य विज्ञापन सामग्री तैयार करेंगे, जिसमें विशेष अभियान के प्रयोजन के बारे में बताया गया हो।
- वे इस विषय पर एक सत्र आयोजित करेंगे कि अपना पंजीकरण कैसे कराएँ (फॉर्म 6 भरकर), साथ ही, वे उन अभिलेखों की भी चर्चा करेंगे, जो पंजीकरण के लिए जरूरी होते हैं।
- निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य अपने चुनाव–क्षेत्र के बी.एल.ओ. से सम्पर्क करके उन्हें कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ एक विशेष सत्र के लिए आमंत्रित करेंगे।
- नियत दिन पर एक बूथ बनाएँगे, फार्म 6 बाँटेंगे, और विद्यार्थियों को फॉर्म भरकर उसे बी.एल.ओ. के पास जमा करने का मौका देंगे।
- दूसरे शहरों और राज्यों के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (National Voter's Service Portal) www.nvsp.in के बारे में जानकारी दी जाएगी, और उन्हें कहा जाएगा कि वे अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवाएँ।

अवधि– आधा दिन

समय– यह गतिविधि उस दौरान आयोजित की जाएगी, जब सम्बन्धित राज्य की सूचियाँ संशोधित की जा रही हों।

गतिविधि : वाद–विवाद/भाषण प्रतियोगिता

युवाओं के बीच पैठ बनाने के लिए वाद–विवाद और चर्चाएँ बहुत अच्छे साधन हैं। निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों को कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा के माध्यम से पहले ही निर्वाचन–प्रक्रिया और मतदाता जागरूकता से सम्बन्धित विषयों पर काफी जानकारी मिल चुकी होगी। अब वे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अन्तर्विद्यालयी वाद–विवाद/भाषण प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं।

प्रक्रिया

- निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य प्रबन्ध–मण्डल के साथ मिलकर प्रतियोगिता का प्रारूप तय करेंगे। यह एक संसदीय वाद–विवाद या सामान्य वाद–विवाद हो सकता है, या फिर एक पैनल चर्चा या भाषण प्रतियोगिता।
- इसके लिए चुनावी साक्षरता क्लब के सदस्यों द्वारा प्रबन्ध–मण्डल की स्वीकृति से विशय तय किए जाएँगे। विषय तय करने के लिए कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा गतिविधि में दिए गए विषयों की सूची का सहारा लिया जा सकता हैं।
- शहर के सभी कॉलेजों को इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम का उपयुक्त प्रचार–प्रसार किया जाएगा।
- दो घंटे का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो निर्णायकों द्वारा दिए गए निर्णय के उपरान्त पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरण के साथ सम्पन्न होगा।

समय – सम संख्या वाले किसी भी सेमेस्टर के दौरान।

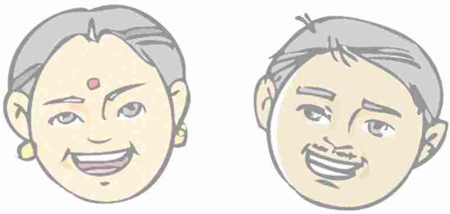

गतिविधि : राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह

राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह इस दृष्टि से सार्थक है कि इसका उद्देश्य युवा मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इस दिवस के बारे में जानें और इसके महत्त्व को उजागर करें। अतः चुनावी साक्षरता क्लब के सदस्य अपने ही कॉलेज में एक विशेश सभा (असेम्बली)/कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा।

- विद्यार्थी पोस्टरों और दूसरे चित्रों से आयोजन–स्थल को सजाएँगे। ये पोस्टर व चित्र ऐसे होंगे, जिनमें मतदान का महत्त्व दर्शाया गया हो।
- जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके कार्यालय के किसी प्रतिनिधि को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जा सकता है।
- निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य इस कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता के रूप में काम करेंगे। वे विषय से सम्बन्धित किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की योजना बनाएँगे। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा मंचीय नाटक, समूह गान/बैण्ड प्रस्तुति, नृत्य, भाषण/व्याख्यान आदि प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- इस विशेष कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बैज, टी शर्ट, बुकमार्क आदि भी बाँटे जा सकते हैं।
- निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों व अन्य विद्यार्थियों द्वारा निर्वाचन साक्षरता के लिए किए गए कार्यों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सम्मानित किया जाना चाहिए।
- मतदाता महोत्सव के प्रतिभागियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है और उन्हें उनके पुरस्कार इसी कार्यक्रम में प्रदान किए जा सकते हैं।

गतिविधि : प्रेरक संवाद

यह परस्पर संवाद का एक अनौपचारिक सत्र होगा, जिसमें किसी राजनीतिक दल विशेष से सम्बन्ध न रखने वाले तटस्थ व्यक्तियों और युवाओं के किसी आदर्श व्यक्तित्व को आमंत्रित किया जाएगा। इन प्रेरक व्यक्तित्वों को आमंत्रित करने वाले समागम में सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक सरोकारों से सम्बन्ध रखने वाले अन्य व्यक्ति शामिल होंगे। ये युवा व लोकतंत्र, चुनाव, वयस्क मताधिकार, राजनीति विश्व की समकालीन राजनीति जैसे मुद्दों पर प्रेरणादायक चर्चा करेंगे। युवाओं द्वारा इंगित किए गए मुद्दों और विषयों पर चर्चा से शुरू करते हुए इस कार्यक्रम को दो हिस्सों में बाँटा जा सकता है– पहला, आमंत्रित वक्ता का उद्बोधन, और दूसरा, उपस्थित श्रोताओं के साथ परस्पर संवादात्मक प्रश्न–उत्तर का सत्र चुनावी साक्षरता क्लब के सदस्य इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने या सोशल मीडिया पर सजीव प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रक्रिया

प्रेरणा देने वाले लोगों को आमंत्रित करने वाली गतिविधि एक अलग गतिविधि के रूप में भी आयोजित की जा सकती है या इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह या मतदाता महोत्सव के साथ भी जोड़ा जा सकता है।

अवधि – 2 घंटे

नियमित गतिविधि : कॉलेज पत्रिका में फीचर

निर्वाचन साक्षरता क्लब कॉलेज पत्रिका (वार्षिक/मासिक/त्रैमासिक) के सम्पादक मण्डल के मुखिया से मिलकर पत्रिका के लिए विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई फीचर वृत्तान्त आदि प्रकाशन के लिए दे सकते हैं। ये इस विषय पर हो सकते हैं कि उन्होंने निर्वाचन व लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था क्यों व्यक्त की।

हर क्षेत्र के कॉलेजों के सर्वश्रेष्ठ फीचर को संग्रहीत करके युवाओं और भावी मतदाताओं के लिए 'मतदान में विश्वास' की सीरीज प्रकाशित की जा सकती है।

नियमित गतिविधि : सोशल मीडिया पर आधारित गतिविधियाँ

कॉलेज के चुनावी साक्षरता क्लब से यह अपेक्षा की जाती है कि उसका अपना सोशल मीडिया हैण्डल (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या कोई अन्य) होगा।

निर्वाचन साक्षरता क्लब इस पेज पर नियमित रूप से गतिविधियाँ/प्रतियोगिताएँ आयोजित करेगा, और इसी के माध्यम से युवाओं को मतदाता जागरूकता का संदेश भी देगा। संकेत के रूप में कुछ गतिविधियाँ इस प्रकार हैं–

- प्रतीक चिह्न (लोगो) डिजाइन करना
- टैगलाइन लिखना
- पोस्टर बनाना
- जी.आई.एफ. बनाना
- ब्लॉग लिखना
- मतदान की पूरी गतिविधि को प्रस्तुत करना– निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य अपने नजदीकी मतदान केन्द्र (यदि उनके चुनाव क्षेत्र में कोई चुनाव हो रहा हो) पर होने वाली कार्यवाही की एक छोटी वीडियो रिपोर्ट बनाएँगे और उसे अपने सोशल मीडिया हैण्डल पर पोस्ट करेंगे।

16. गतिविधियों का प्रस्तावित क्रम

क्र.	गतिविधि	अनन्तिम समय
	विषम संख्या वाले सेमेस्टर	
1	निर्वाचन साक्षरता क्लब की नई कार्यकारिणी समिति का चुनाव	जुलाई
2	कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा	
3	नवागन्तुकों का वाद–विवाद	
4	रैप प्रस्तुति	अगस्त
5	कविता पाठ	
6	मूक अभिनय	
7	कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा	सितम्बरत
8	प्रेरक संवाद	
9	फोटोग्राफी प्रतियोगिता	
10	चित्रकला प्रतियोगिता	अक्टूबर
11	प्रेरक संवाद	
12	राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए तैयारी	नवम्बर
13	लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता की घोषणा	
14	चुनाव पत्रिका और कॉलेज पत्रिका के लिए फीचर	नियमित गतिविधि
	सम संख्या वाले सेमेस्टर	
15	राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन	जनवरी
16	प्रेरक संवाद	
17	फिल्म दिखाना	फरवरी
18	सी.ई.ओ. का आगमन	मार्च
19	कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा	अप्रैल
20	18 उम्र वालों के लिए पंजीकरण अभियान	मई
21	चुनाव पत्रिका और कॉलेज पत्रिका के लिए फीचर	नियमित गतिविधि

17. संसाधन

1. बिलीफ इन द बैलट (मतदान में विश्वास)
2. सेंटीनल्स ऑफ डेमोक्रेसी (लोकतंत्र के प्रहरी)
3. प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न और शब्दार्थ
4. पीठासीन अधिकारी के लिए मार्गदर्शिका

   http://eci.nic.in/ eci_main/ ElectoralLaws/ HandBooks/ RO%20HANDBOOK_24022014.pdf
5. www.nvsp.in

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

eci.gov.in / nvsp.in / ecisveep.nic.in

@ECI @ecisveep @ECIsveep

ELECTORAL LITERACY CLUB

No Voter to be Left Behind

Election Commission of India

eci.gov.in / nvsp.in / ecisveep.nic.in

@ECI @ecisveep @ECIsveep

ELECTORAL LITERACY CLUB

No Voter to be Left Behind

Election Commission of India

Electoral Literacy Club

Resource Guide for Colleges

ELECTORAL LITERACY CLUB

No Voter to be Left Behind

Election Commission of India

Electoral Literacy Club

Resource Guide for Colleges

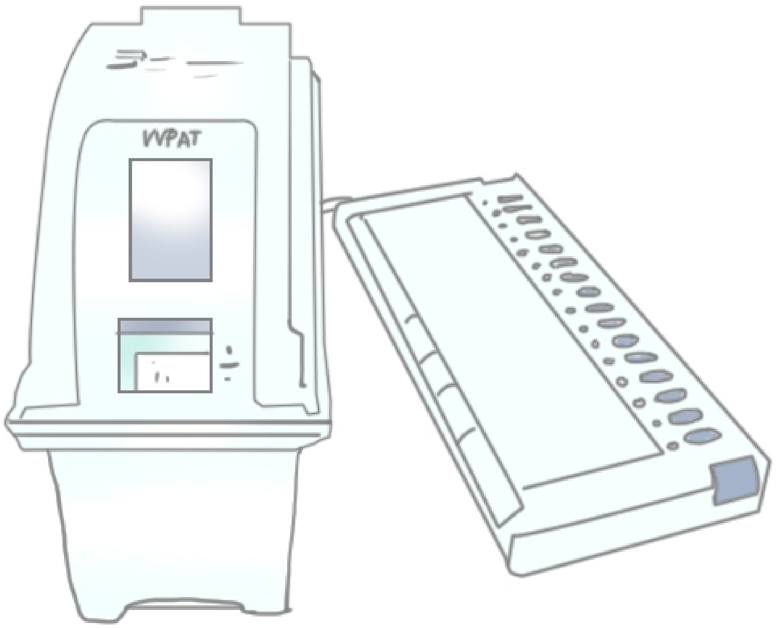

Published in 2018 by the Election Commission of India
Nirvahcan Sadan, Ashoka Road, New Delhi, 110001
Re Print- 2019

Text, Photographs and Illustrations
Copyright © Election Commission of India

INDEX

1. **Introduction**---05
2. **Objectives** ---05
3. **Members**---06
4. **Structure**---06
5. **Nodal Officer & Mentor**---06
6. **Executive Committee**---07
7. **Convener**---08
8. **Term of Office** ---09
9. **Venue** ---09
10. **ELC Sessions**---09
11. **Activities**---09
12. **Social Media Presence and Outreach**---10
13. **Mandatory Rules** ---10
14. **Inclusion of Students with Disabilities**---11
15. **Activities with Instructions** ---12
    - I. The ELC Wall Magazine---13
    - ii. Ballot Bistro ---06
    - iii. Young Voter Festival or Yuva Matdata Mahotsav---18
    - iv. Special Drive---21
    - v. Debate/Speech Elocution Competition ---22
    - vi. National Voters' Day Celebration ---23
    - vii. Motivators Invite ---24
    - viii. Featured Stories in the College Magazine---25
    - ix. Social Media Based Activity--- 25
16. **Proposed Schedule of Activities**--- 26
17. **Resources**---27

1. Electoral Literacy Clubs -Introduction

Electoral Literacy Clubs are being set up in the country to promote electoral literacy in all age groups of the Indian citizens through engaging and interesting activities and hands-on experience but in an apolitical, neutral and non-partisan manner.

Electoral Literacy Clubs are especially being set up in colleges all across India targeting the new voters, (in the age-group of 18-21 years old) pursuing their graduation.

The club will have all the students from all semesters as its members. The following sections will talk in detail on how the ELC will be set up, who will be its participants, convener, where and how it will be conducted and what activities it will include.

2. Objectives

I. To educate the targeted populations about voter registration, electoral process and related matters through hands on experience;

II. To facilitate EVM and VVPAT familiarization and education about the robustness of EVM as well as the integrity of the electoral process using EVMs;

III. To help the target audience understand the value of their vote and exercise their right to franchise in a confident, comfortable and ethical manner;

IV. To harness the potential of ELC members for carrying the electoral literacy in communities;

V. To facilitate voter registration for its eligible members who are not yet registered;

VI. To develop a culture of electoral participation and maximize the informed and ethical voting and follow the principle '*Every vote counts*' and '*No Voter to be Left Behind*'.

3. Members

The club will have students as its members. One can become a member by registering herself/himself at the beginning of the academic year. After registration, one is recognized as a member till the completion of her/his graduation course.

4. Structure

ELC may be named as per the name of the College/ Institute and will be set up and coordinated by the Nodal Officer. It is proposed that 1 ELC be set up per college. However, if need be, chapters of the same can be introduced for different departments/schools within the university. The institution may decide how to proceed as per its convenience.

5. Nodal Officer /Mentor

One or two teachers from the Political Science Department of the college will act as the Nodal Officers for the ELC. They will also act as Mentors for the respective ELC. The teachers with election duty experience should be given preference for this work. Their job content will focus on:

I. Promoting and supervising Club enrollment.

II. Supervising the election and formation of the Executive Committee of ELC.

III. Coordinating between the District Election Officer and the ELC for exchange of resources, information etc.

IV. Attempt generating new resources and forward the same to the District Election Officer.

V. Guiding and supervising the development of the calendar of activities for the year by the Executive Council.

Note- ***Nodal Officer will be free to engage the Executive Committee Members in the operations of the ELC***

6. Executive Committee

I. The club would be run by an elected body from amongst the ELC member students with elected representatives from each of the classes.

II. The committee members can only be students who are already enrolled as voters.

III. The committee must not include any politically active student. However, students with political affiliations may enroll themselves as common members of the ELC itself.

IV. The elected representatives shall constitute the Executive Committee of the ELC.

V. The elected representatives will elect one of the representatives as its Chairman and another as Vice Chairman.

VI. The Executive Committee, under the guidance, consultation and supervision of the Nodal Officer will be responsible for organizing the activities of the ELC.

VII. The elected body shall endeavour to generate the culture of electoral participation amongst the ELC members and will have the following role:

  i. Organizing the Club enrolment

  ii. Planning activities for the ELC and developing the calendar of activities for the year

  iii. Framing further guidelines for smooth conduct of ELC activities

  iv. Supervising the conduct of activities as per the calendar

  v. Generating ELC resources

  vi. Facilitating the enrollment of students not registered as voters

7. Convener

Campus Ambassador(s), wherever they are appointed, will act as the Convener(s) of the ELC and will assist the Nodal Officer in discharge of their functions. Where Campus Ambassadors are not appointed, Nodal Officers and the Executive Committee may nominate interested student(s) as Convener(s). The Convener shall be responsible for:

I. Identifying and involving student members in organizing various ELC activities

II. Conducting activities under the overall guidance of the Executive Committee and Mentor/ Nodal Officer

III. Any other task assigned by the Executive Committee and Mentor/Nodal Officer.

8. Term of Office

I. The Executive Committee and Convener(s) of the Electoral Literacy Club would have a tenure of 1 year extending to 2 years, from the day of assuming charge. The final decision on the term of office will lie with the Nodal Officer.

II. The representative will have to be registered as a member of the ELC.

9. Venue

The venue for ELC meeting can be one of the classrooms which can be utilized after classes or any venue decided by the Executive Committee. Venue is also subject to change depending on the various activities.

10. ELC Sessions

There shall be activities based sessions. Hours/ sessions earmarked for them shall range between a total of 8-10 hours in the academic year. ELC is common for all students of the college.

11. Activities

This Electoral Literacy Guide Book for **Colleges** comprises a detailed description of activities. Executive Committee are at liberty to pick and modify the activities or even create new ones as long as they stay on the lines of voter education. Of these activities, the Wall Magazine Activity will

be a monthly feature to be conducted by the clubs. Ballot Bistro and Special Registration Drive shall be a mandatory activity.

12. Social Media Presence and Outreach

I. The ELC Executive Committee are expected to post relevant content (event announcements, updates, results, initiatives, current affairs, online/offline contests, registration drives, et al.) regularly on a dedicated Facebook page and group, Youtube Channel (live streaming of events, recorded content and related content) anchored by the Nodal Officer/Mentor (permanent) and the current committee (1 year term).

II. Additionally, the Executive Committee is expected to maintain and post relevant interactive material regularly on a dedicated Pinterest board and Instagram profile. Best judgement, absolute neutrality and discretion should be observed by the administrators while posting any content on online fora.

II. Integrate the College/University ELC's Facebook and YouTube profiles with Election Commision of India's Facebook page and official YouTube Channel.

Note: ***College and University ELCs are free to leverage other online and social media platforms to broaden their reach Nodal Officer shall ensure non-partisan nature of content shared online.***

13. Mandatory Rules

I. ELCs shall have no association with any political party or political groups.

II. None of the ELC activities (Motivators Invite, Ballot Bistro, other cultural activities) should involve Partisan forces in any form.

III. As far as participation is concerned, students, regardless of their political affiliations are free to take part in ELC activities.

IV. It's the duty of the Executive Committee to prepare an Annual Report after the completion of its term. The Annual Report should detail out the activities (online and offline) conducted, duties discharged and results recorded by the ELC over the year. It can be submitted to the concerned DEO through the Nodal Officer.

14. Inclusion of Students with Disabilities

The ELCs will be an inclusive club that must make every attempt to ensure the participation of students with disabilities.

- The Convener shall make efforts to promote inclusion and sensitize other club members about the same.
- The venue for all ELC activities should be on the ground floor of the college building to ensure easy access.
- If a student with hearing impairment is attending the meeting, sign language interpreter should be made available for their convenience (the interpreter may be a companion that the student already has)
- Any activity conducted in the club should not leave behind students with disabilities.
- Students with disabilities will be fairly represented in the club.

15. ACTIVITIES WITH INSTRUCTIONS

Activity: The ELC Wall Magazine

The idea behind a wall magazine is to create and share electoral literacy information in an interesting, creative and engaging manner and encourage participation from all students.

For this purpose the wall in a prominent part of the college would be used. This shall be called the **'ELC Wall'**. The wall will display various contents related to electoral literacy which can be pasted or pinned or even painted, if allowed.

College Administration shall allot a wall space or display board in the identified college corridor. Theme of the wall magazine will keep changing every month.

Method

1. The ELC guided by the Executive Committee, will manage the wall magazine. A group of members may work as the core team to manage the wall magazine.
2. Theme of the wall magazine will keep changing every month.
3. The wall magazine shall invite contribution from students of all semesters in the form of articles, essays, poems, sketches, paintings, letters, word games etc on the current theme.
4. The contents within the theme shall be changed weekly or fortnightly depending upon the quantity of contribution from the students.
5. The wall magazines shall also display important announcements regarding major ELC activities being conducted in the month.
6. The wall will be divided into 4 major sections.

Section 1 It will feature a glossary of election related terms and fundamental dicta related to the theme. Dicta must comprise 2-3 short but important statement/pirces of information/facts related to the theme.	**Section 2** It will feature contribution by the students on the current theme, which shall be based on various aspects of the election process. These stories shall be developed by the students themselves and depicted in the form of illustration. Alternatively, this section can showcase theme related election stories which can be picked from the *Belief in the Ballot.*
Section 3 It will invite responses from the audience on theme related questions such as 'are you eligible to vote?', 'are you prepared to vote?', 'how to become a voter?' etc. Space shall be provided for students to respond in the same section.	**Section 4** This Section will consist of announcements and descriptions of major activities to be carried out by the ELC. A part of this section will be left blank to give the viewer some space to pose questions. **District Contact Centre No. (Election) shall be prominently displayed.**

Timeline

The wall magazine will be updated every month with a new theme. The contents on the wall magazine may be changed daily or weekly depending upon the quantity of contribution from the students.

Suggested Themes for Wall Magazine

Following are a list of themes for the wall magazine –

1. Democracy: The Government of the People, by the People, for the People
2. My Vote is My Right/The Value of a Vote
3. Inclusive Elections: Every Vote Counts the Same
4. Ethical and Informed Voting
5. Model Code of Conduct
6. Secrecy of Vote
7. Integrity of Electoral Process through use of EVM and VVPAT
8. Knowing Your Candidate
9. National Voters' Day
10. Election Manifestoes
11. Exit and Opinion Polls
12. Social Media and Political Campaigning

Activity: Ballot Bistro

Reviving the retro culture of coffee house discussions, Ballot Bistro would essentially comprise discussion and brainstorming sessions in the college canteen and cafes, moderated by ELC members on subjects pertaining to youth inclusion, engagement and involvement in the electoral procedure.

Participants: Ballot Bistro is a compulsory activity for all ELC members. Non-ELC members too are free to join the Bistro sessions.

Procedure: After declaring the motion of the day, the house would be opened to all present to come forward, voice his/her views, opinions, stance and perspective on the subject. Although informal in essence, participants of Ballot Bistro are expected to engage and contribute actively to the happenings of the event. It must be ensured by the ELC that the session is conducted in a mixture of English and the relevant regional language. An entirely on-ground event, ELC members are free to record or, live stream the event on social media channels to ensure a larger reach.

Duration: 2 hours

Possible Themes: ELC members can come up with the themes of the Ballot Bistro discussion on their own or refer to the following list –

- Voter Education : An Undermined Necessity
- Voting should be made Mandatory by the State
- What will make India Vote?
- Inclusion in Elections
- Online Voting: the way forward or opening a potential Pandora's box?
- Should candidates accused of serious offences be disqualified from contesting elections?
- Opinion and Exit polls should be restricted and regulated.
- EVM/VVPAT Awareness
- Knowing what you don't want: NOTA

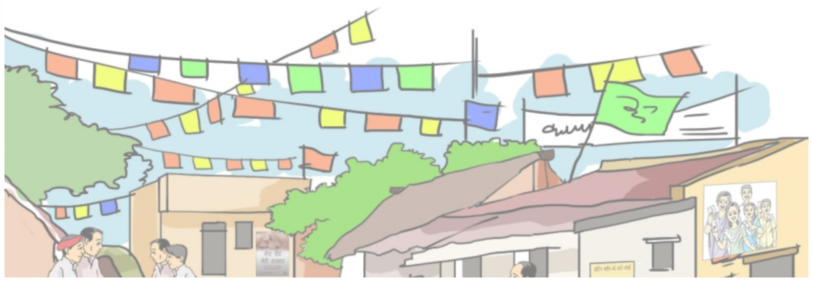

Activity: Young Voter's Festival or Yuva MatdataMahotsav

This will be a 1-2 days festive event organized by the ELC members in the odd semester. The students have the choice of making this event open to all city colleges or organize it exclusively for its own college students. The Festival/ Mahotsav will bring together members of all college societies to organize an array of events. A few event suggestions are-

Art Contests: Including graffiti, posters, woodcuts/ lithography contests, College/University ELCs can leverage Inter/Intra- College Art Contests as an interactive medium to

build awareness and sensitize the youth regarding issues of elections, electoral processes, voting, democracy and politics in general.

Mime Act/Street Plays/Roadshows: Conducted in collaboration with the College/University Dramatics Society and staged in major youth fests like- Mood Indigo, Antaragni, OASIS, Malhar, Rendezvous etc.

Photography Contests, Film Screenings and Short Film Making Contest: Conducted in collaboration with Photography Society and Film Society of the college/ university, movies, documentaries and still images convey vivid messages and help generate awareness and build salience for viewers about the subject under consideration- i.e. electoral processes, elections, democracies, citizens' rights and duties. They act as persuasive instruments, which, if employed effectively could aid in behavior change.

Subjects/Themes of the Short Film Making Contest and the Photography Contest would be declared in advance by the ELC Board in conferment with the general students of the college/university. Similarly, the list of films to be showcased

can be sourced based on recommendations from the student populace of the institution. A follow-up, study and analysis session, post-screening can be convened by the ELC.

Dance/Music competitions: Conducted in collaboration with the dance and music society of the college respectively, the events can invite participation for thematic story telling through dancing and bands can battle out songs motivating the youth to vote.

Alternatively, ELC members can pick the above activities individually, and organize contests for the same separately anytime during the academic year.

Rap and Poetry Slams: Conducted in association with the Literary Society or, Music Society of the college/university, Inter/Intra-College Rap Battles and Poetry Slam contests have been considered as en vogue devices to engage with the youth. As an extension to that, subject matters pertaining to representation, youth as change agents, democracy, elections, politics, franchise, suffrage et al. can best be highlighted via such media. ELCs can hold such contests periodically to engage and build a dialogue with the student populace. Open to being covered online, a special jury can be invited or, a popular voting system can be devised to decide the winner.

Election Quiz: A quiz on election and electoral process can be conducted among the students by the ELC in association with the college Quiz society.

Voters Pledge: A mandatory activity will be the assembly of all young event attendees and taking of the Voters Pledge by the same. The pledge can also be publicized on Social Media Platforms by the ELC members.

Activity: Special Drive

All college students above the age of 18 who are Indian citizens are eligible to vote. It is thus important that all of them register as electors. The ELC members will be entrusted with the responsibility of motivating their peers to register themselves and they will hold a special registration drive for the same.

Procedure

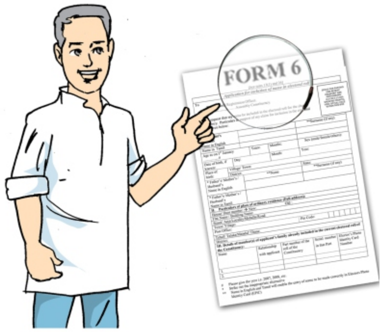

- The ELC members will carry out promotions in the college speaking about the purpose of the special drive.
- They will conduct a session on how to get registered (by filling form 6) and talk about the various documents required.
- The ELC members will contact their constituency's BLO and invite him/her for a special session with the college students.
- On a select day, they will set up a booth distributing form 6 and giving students the opportunity to fill their forms out and submit it to the BLO.
- For students belonging to other cities and states, they can be made aware about National Voters' Service Portal: www.nvsp.in and asked to register themselves online.

Duration: Half day

Timeline: The activity shall be conducted around the time of the summary revision of the respective State.

Activity: Debate/Speech Elocution Competition

Debates and discussions are a great way for conversation to get going amongst the youth. ELC members, through *Ballot Bistros* would have already garnered enough knowledge on the electoral process and subjects related to voter awareness. They will thus take the conversation further by organizing an inter-college competition.

Procedure

- The ELC members along with the executive committee will decide on the format of the competition. It can be a parliamentary debate, a normal debate, a panel discussion or a speech elocution competition.
- Theme for the same shall be decided by the ELC members with the approval of the executive committee. You may refer to the list of themes mentioned in the Ballot Bistro activity for ideas.
- All city colleges will be invited for participation. The event shall be properly publicized.
- A two hour event shall be conducted, complete with judges, rewards and certificates.

Timeline: Any time in the even semester.

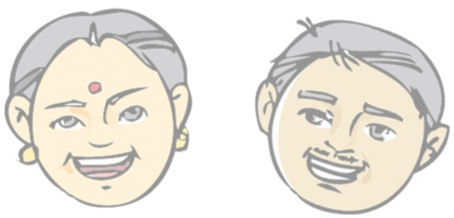

Activity: National Voters' Day Celebration

The National Voters' Day, celebrated on 25th January of every year, is significant in its purpose to encourage young voters to take part in the electoral process.

As members of the ELC, it is important for this day to be recognized, and its importance highlighted. Thus, ELC members will hold a special assembly/function within the college where all students and faculty members will be invited.

- Students will decorate the venue with posters and other artwork emphasizing the value of voting.
- The District Election Officer or representatives from his/her office maybe invited to this event.
- ELC members will act as anchors to this event. They will plan out a cultural programme around the event which will include stage play, group singing/band performance, dance performance and speech elocution etc by students.
- This special function should also observe the distribution of merchandise like badges, t-shirts, bookmarks etc. to the students.
- Works of ELC members and other students for electoral literacy shall be recognized in the NVD function.
- Participants from *Matdata Mahotsav* too maybe invited and awarded their prizes in the function.

Activity: Motivators Invite

Envisioned as informal interactive meets/sessions with non-partisan personalities and youth icons like activists and social entrepreneurs, Motivators Invite events are expected to delve upon issues of youth and democracy, elections, adult franchise, politics and contemporary world politics. Primarily regarded as instruments of initiating a conversation and dialogue on subjects and issues marked by youth apathy, a Motivators Invite event can be divided into two segments- first, the guest speaker's address on a pre-decided subject and second, an interactive Q&A session with the attendees. ELC members are free to record or, live stream the event via social media handles.

Procedure

The Influencers Invite Event can be either conducted as an exclusive event or included in the NVD celebrations or at the *Matdata Mahotsav.*

Duration: 2 hours

Regular Activity: Featured Stories in the College Magazine

The ELC can collaborate with the Editorial Board in-charge of the College magazine (Annual /Monthly/ Quarterly) to feature stories, anecdotes shared by students on why they place their faith on electoral democracy.

The best stories from colleges in each zone can be compiled to create a 'Belief in the Ballot' series for Young and Future Voters.

Regular Activity: Social Media Based Activities

The ELC in college is expected to have its own dedicated Social Media handles (Facebook, Twitter, Instagram and such).

ELCs will regularly hold activities/contests on this page and also try to reach out to audiences with messages of voter awareness. Some suggested activities are –

- Logo Designing
- Tagline Writing
- Poster Making
- GIF Making
- Blog Writing
- Poll Rapporteuring – ELC members will prepare a short video reporting the proceeding from their nearest polling station if there is an election being held in their constituency and post it on their social media handle.

16. Proposed Schedule of Activities

Sr	Activity	Provisional Timeline
	Odd Semester	
1	Election of new ELC Executive Committee	July
2	Ballot Bistro	
3	Freshers' Debate	
4	Rap Battle	August
5	Poetry Slam	
6	Mime Act	
7	Ballot Bistro	September
8	Motivators Invite	
9	Photography Contest	
10	Art Contest	October
11	Motivators Invite	
12	Preparations for National Voters' Day	November
13	Announcement of Short Filmmaking Contest	
14	Wall Magazine & Featured Story in College Magazine	Regular Activity
	Even Semester	
15	Celebration of National Voters' Day	January
16	Motivators Invite	
17	Film Screening	February
18	CEO's visit	March
19	Ballot Bistro	April
20	Registration Drive for 18+ students	May
21	Wall Magazine & Featured Story in College Magazine	Regular Activity

17. Resources

1. Belief in Ballot
2. Sentinels of Democracy
3. FAQ & Glossary
4. Handbook for Returning officers
   http://eci.gov.in/ eci_main/ ElectoralLaws/ HandBooks/ RO%20HANDBOOK_24022014.pdf
5. www.nvsp.in

Conveners' Notes

Conveners' Notes

Conveners' Notes

Conveners' Notes

Conveners' Notes

Conveners' Notes

Conveners' Notes

Conveners' Notes

Ministry of Education

ECI signs MoU with the Ministry of Education to bring Electoral Literacy to Classrooms across the country

It will integrate voter education and electoral literacy into the curricular framework, starting from classes 6 to 12 in all schools

From Classroom to Polling Stations: the move will ‘catch them young’ and prepare students in schools for their first vote; democratic values and ethos to be ingrained at formative age

'Democracy Room' in senior secondary schools for display of voter education materials and activities

NCERT to include content on electoral literacy in school textbooks and to advise State Education Boards to follow suit

Posted On: 02 NOV 2023 9:38PM by PIB Delhi

School and College students will soon learn about their future role and duties as voters in the election process, as part of the curricular and extra-curricular interventions in educational institutions. A Memorandum of Understanding (MoU) on electoral literacy was signed today between the Election Commission of India (ECI) and the Ministry of Education.

The MoU underscores the development of an institutional framework that seeks to incorporate electoral literacy formally into the school and college education system. This includes structured curricular, co-curricular, and extracurricular activities, all of which will help in preparing future and new voters for greater electoral participation and in effect strengthening democracy. It is crucial to capture the attention of young minds and educate them about the significance and value of their vote in every election.

Salient features of the MoU:

- Systematically integrating voter education and electoral literacy into the curriculum, starting from classes 6 to 12 in all schools.
- This integration will also extend to the curricular framework for all colleges and universities, tailored to suit different disciplines and credited accordingly.
- NCERT will introduce and update textbooks to include content on electoral literacy and will advise State Education Boards and other Boards to follow suit.
- Emphasises the orientation and training of teachers in effectively imparting electoral literacy in classrooms.
- Fosters a sense of responsibility within State Education Departments for establishing Electoral Literacy Clubs (ELCs) in schools and colleges.
- Encourages various activities to promote voter awareness among students, ensuring they are well-versed with the country's electoral system and encouraging them to register as voters and participate enthusiastically, with a well-informed and ethical approach, in every election.
- Seeks to evolve a robust mechanism to fulfil the aspirational goal of ECI to handover the voter ID card to every student immediately after their attaining the age of 18 years: an institutional framework to be

created for online registration of eligible and prospective students who have attained 17+ years of age (after every qualifying date (1st January, 1st April, 1st July and 1st October of every calendar year) and during the annual summary revision of electoral rolls.

- Include electoral literacy in the curriculum for adult literacy and basic education, creating educational content focused on electoral processes for lifelong learning.
- Designate one of the rooms in every senior secondary school as the 'Democracy Room' for the regular display of voter education materials and the conduct of Continuous Electoral and Democracy Education (CEDE) activities throughout the year. A dedicated 'Democracy Room' will offer a platform for students to learn, discuss, and participate in various aspects of our democratic processes throughout the year.
- Developing critical thinking, communication, and leadership skills amongst university students to actively participate in university-level politics, including engaging in informed debates and discussions.
- Devise a system of credits for students taking part in CEDE to pursue higher studies;
- Providing standard ramps, accessible toilets, proper lighting and electricity on a permanent basis.

Background

The MoU is aimed at extending the ECI's flagship Systematic Voters' Education and Electoral Participation (SVEEP) in schools and colleges. The objective is to encourage universal and enlightened participation of future voters in elections. The MoU also aims to address the issues like apathy among urban and young voters, as a crucial aspect of Continuous Electoral and Democracy Education. This integration seeks to motivate future voters to participate more actively in elections, fostering responsible citizenship, and reinforcing our democratic system with informed and dutiful citizens.

Despite successfully managing and conducting of elections by the Election Commission over the years in a fair and peaceful way along with a high jump in participation of the electors, there is also a concern that there were almost 297 million electors (out of 910 million) who did not cast their votes in General Election to Lok Sabha - 2019. The voting percentage was 67.4%. The Commission has taken this as a challenge to improve upon.

This significant collaboration aims to empower young people by bridging the knowledge gap among the youth and first-time voters. India boasts one of the world's youngest populations, and the indifference of the youth towards the electoral process could potentially result in a future generation that is hesitant to engage in voting as adults. Such apathy could have substantial consequences for the functionality of a thriving democracy. Therefore, this MoU is signed with the long-term vision of instilling electoral literacy in the young people through the educational institutions. This initiative is expected to help in the Election Commission's endeavour to address the urban and youth apathy, leading to better electoral participation in next general elections.

***

SS/AK

(Release ID: 1974302)